IAS

GS WORLD

IAS PCS

Committed To Excellence

PCS

(1 मई से 15 मई तक)

आलेख सार

अंक – 9

संपादकीय

Analysis 360°

एक कदम, सफलता की ओर॥।

प्रिय अभ्यर्थियों!

जैसा कि आप जानते हैं, कि जी॰एस॰ वर्ल्ड प्रबंधन पिछले कुछ वर्षों से लगातार आपके अध्ययन सामग्री की गुणवत्ता संवर्धन हेतु सतत् प्रयासरत है, जिसके लिए दैनिक स्तर पर अंग्रेजी समाचार पत्रों का सार एवं जी.एस. वर्ल्ड टीम द्वारा सहायक सामग्री उपलब्ध करायी जाती है। साथ ही साप्ताहिक स्तर पर हिन्दी समाचार पत्रों का सार उपलब्ध कराया जाता था, किंतु सिविल सेवा परीक्षा के बढ़ते स्तर एवं बदलते प्रश्नों को देखते हुए जी.एस. वर्ल्ड प्रबंधन ने साप्ताहिक समाचार पत्रों के सार के स्थान पर अर्द्धमासिक स्तर पर संपादकीय Analysis 360⁰ आरंभ किया है।

संपादकीय Analysis 360⁰ में नया क्या है?

- इसमें महत्वपूर्ण मुद्दों पर विभिन्न हिन्दी समाचार पत्रों में आए संपादकीय लेखों का सार उपलब्ध कराया जा रहा है।
- इन संपादकीय लेखों को समग्रता प्रदान करने के लिए इनसे जुड़ी सभी बेसिक अवधारणाओं को जीएस वर्ल्ड टीम द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है।
- इन मुद्दों से संबंधित 2013 से अब तक सिविल सेवा परीक्षा में पूछे गए प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के प्रश्नों को भी नीचे दिया गया है, जिससे अभ्यर्थी उस मुद्दे से जुड़े प्रश्नों को समझ सके।
- इन मुद्दों से संबंधित संभावित प्रश्नों को भी इन आलेखों के साथ दिया गया है, जिसका अभ्यास अभ्यर्थी स्वयं कर संस्थान में अपने उत्तर की जांच भी करा सकते हैं।

जी.एस. वर्ल्ड प्रबंधन आपके उज्ज्वल एवं सफल भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है॥।

नीरज सिंह
(प्रबंध निदेशक, जी.एस. वर्ल्ड)

Committed To Excellence

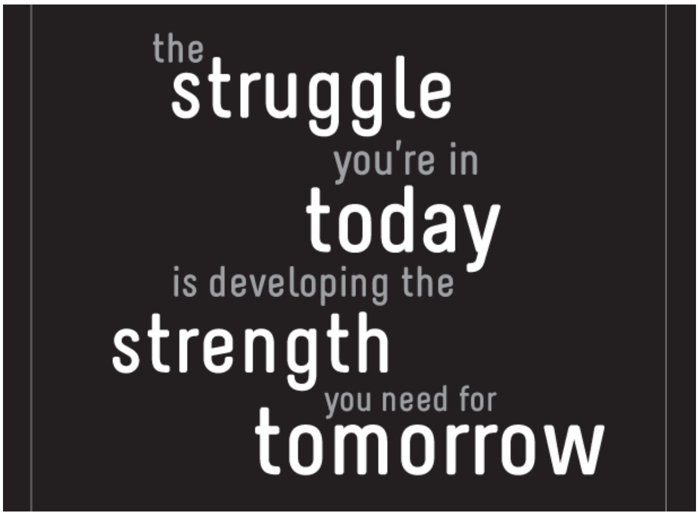

विषय-सूची

1.	हर घर उजाला	4
2.	रोजगार की समस्या	8
3.	अब खत्म हो विवाद	12
4.	मीडिया की आजादी : एक प्रश्न	15
5.	रेरा का 'निर्माण'	18
6.	संसाधन संतुलन के आयाम	20
7.	हमें कैसी हवा चाहिए?	22

हर घर उजाला

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2 (शासन व्यवस्था) और प्रश्न पत्र-3 (बुनियादी ढांचा-ऊर्जा) से संबंधित है।

भारत के सभी गाँवों तक बिजली की पहुँच हो जाना निश्चिय ही एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा यह ऐलान किया गया कि देश के सभी गाँव विद्युतीकृत कर दिये गये हैं। हालांकि यह दावा धरातल पर कितना उतरा है? ये देखने वाली बात होगी। इस संदर्भ में हिन्दी समाचार पत्रों 'अमर उजाला', 'दैनिक ट्रिब्यून', 'बिजनेस स्टैंडर्ड', 'जनसत्ता' और 'दैनिक जागरण' में प्रकाशित लेखों का सार दिया जा रहा है, जिसे GS World टीम द्वारा इस मुद्दे से जुड़ी अन्य सहायक जानकारियों को उपलब्ध कराकर एक समग्रता प्रदान की जा रही है।

अब हर घर तक पहुंचे बिजली (अमर उजाला)

देश के सभी गांवों तक बिजली पहुंचाए जाने की सूचना से हर भारतवासी प्रसन्न होगा। हालांकि इस पर राजनीतिक बयानबाजी चलती रहेगी। श्रेय लेने की होड़ भी पार्टियों के बीच जारी रहेगी। सरकार के दावों पर प्रश्न भी उठेंगे। यह हमारी राजनीति का स्थायी चरित्र है।

लेकिन प्रधानमंत्री के ट्वीट एवं ऊर्जा मंत्रालय के दावों को स्वीकार करें, तो मणिपुर के लेइसांग गांव के साथ देश के सभी 5,97,464 गांवों में अब बिजली पहुंच गई है। लेइसांग जैसे इतने दूरस्थ और छोटे गांव तक बिजली पहुंच गई, तो फिर इस खबर पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि भारत में बिना बिजली एक भी गांव नहीं बचा। कुछ मीडिया रिपोर्टों से पता चलता है कि कई जगह बिजली के खंभे, तार और ट्रांसफर्मर तक लगे हैं, लेकिन बिजली नहीं आ रही। तो इसे ठीक करने की आवश्यकता है।

केवल एक बार खंभे और तार लगाकर बिजली पहुंचा देना ही पर्याप्त नहीं होता। कई कारणों से बिजली आपूर्ति बाधित होती है। इन सबको ठीक करने की दुरुस्त प्रणाली खड़ी किए बगैर स्थायी बिजली आपूर्ति सुनिश्चित नहीं हो सकती। किंतु इसमें राज्यों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है।

यह कहना तो गलत होगा कि पूर्व की सरकारों के कार्यकाल में बिजली पर काम नहीं हुआ। लेकिन शेष बचे दूरस्थ गांवों को बिजली से जोड़ना भी एक बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त, 2015 को लालकिले की प्राचीर से 1000 दिन के अंदर देश के अंधेरे में डूबे 18,452 गांवों में बिजली पहुंचाने का ऐलान किया था। इसके लिए दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना शुरू की गई। 28 अप्रैल, 2018 को यह संकल्प पूरा हुआ। यानी तय समय सीमा से 12 दिनों पहले।

सरकार की योजना पहले मार्च 2019 तक हर घर को बिजली देने की थी। अब इसे पीछे खींचकर 31 दिसंबर, 2018 कर दिया गया है। पिछले वर्ष सितंबर में पंडित दीनदलाय उपाध्याय के 101वें जन्मदिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य आरंभ की थी। इस योजना का उद्देश्य देश के करीब चार करोड़ घरों तक बिजली पहुंचाना है।

उस समय के आंकड़ों के अनुसार देश के कुल 25 करोड़ परिवारों में चार करोड़ परिवार बिना बिजली के रह रहे थे। अभी तक के नियम के अनुसार यदि किसी गांव में 10 प्रतिशत लोगों के पास बिजली के कनेक्शन हैं और उसी गांव के सामुदायिक स्थानों जैसे स्कूल, अस्पताल, पंचायत कार्यालय में बिजली है, तो यह विद्युतीकृत गांव की श्रेणी में आ जाता है। जबकि वहां की आबादी का बड़ा हिस्सा बिजली से वंचित होता है।

राजनीतिक आलोचना के बाद सरकार ने जो आंकड़े दिए हैं, उनके अनुसार देश में 82 प्रतिशत गांव ऐसे हैं, जहां विद्युतीकरण का स्तर 46

दावा और हकीकत (दैनिक ट्रिब्यून)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह ऐलान किया कि देश के सभी गांव विद्युतीकृत कर दिये गए हैं। हर गांव में बिजली का उजियारा है। घोषणा अच्छी है मगर क्या सरकार और ब्यूरोक्रेसी की विश्वसनीयता भी उतनी अच्छी है? सरकार की परिभाषा के मुताबिक वे गांव विद्युतीकृत माने जाते हैं जहां बिजली के खंभे खड़े हों और उन पर लगे तारों में करंट दौड़ रहा हो। साथ ही गांव के 10 प्रतिशत मकानों और सार्वजनिक जगहों पर बिजली हो। दरअसल 15 अगस्त 2015 तक देश के 18452 ऐसे गांवों की पहचान की गई जहां बिजली नहीं पहुंची थी। बाद में इसमें 1275 और गांव जोड़े गए। प्रधानमंत्री ने एक हजार दिनों में इन गांवों में बिजली देने का वायदा किया था। दावा है यह वायदा समय से पहले 928 दिनों में ही पूरा कर लिया गया। ऐसे में भले ही हर घर में बिजली न पहुंची हो मगर बिजली उनकी पहुंच में जरूर आ गई है। आज भी देश के 25 राज्यों के 7.05 करोड़ घरों में बिजली नहीं पहुंची है। हरियाणा में हिसार से 9 किलोमीटर दूर धांसू के पास इंदिरा आवास कॉलोनी में 12 साल से बिजली नहीं है। यहां भी खम्भे हैं, ट्रांसफार्मर हैं लेकिन बिजली नहीं है। राजस्थान के कई गांवों में बिजली नहीं है।

छत्तीसगढ़ में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य के 122 गांवों में अभी बिजली नहीं है। महाराष्ट्र में औरंगाबाद में 5 लाख परिवार, मराठवाड़ा में 35000 परिवार बिजली के इंतजार में हैं। हरियाणा के एकमात्र पहाड़ी क्षेत्र मोरनी खंड के राजपुरा, दाबसु, कुदाना व टिक्कर पंचायत के कई गांवों को बिजली नसीब नहीं हुई है। कई लोगों के सवाल होंगे कि कैसे दावा किया जा रहा है कि देश के सभी गांवों में बिजली का उजाला फैल चुका है। जरूरत इस बात की है कि प्रधानमंत्री के दावे को सच साबित करने का संकल्प सरकार ले। साथ ही यह भी कि बिजली गांव-शहर वालों और गरीबों के लिए सस्ती व सुलभ हो। पीएम मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने सौर बिजली का अभियान छेड़ा था। यह प्रयोग दूरदराज के गांवों को बिजली के मामले में आत्मनिर्भर भी बना सकता है। फिर पावर हाउसों में बिजली पैदा करके महंगे पावर ग्रिड व संचालन-प्रेषण पर नियंत्रण की समस्या से भी सरकारों को निजात मिलेगी। जिनके बजट का बड़ा हिस्सा बिजली की सब्सिडी और कर्ज उतारने में खर्च हो रहा है।

समावेशी ऊर्जा (जनसत्ता)

भारत के सभी गांवों तक बिजली की पहुंच हो जाना निश्चय ही एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। देश के विकास के सफर में यह मुकाम हासिल हुआ अट्ठाईस अप्रैल की शाम को, जब मणिपुर के सेनापति जिले में आने वाला लाइसंग गांव नेशनल पॉवर ग्रिड से जुड़ने वाला आखिरी

से 100 प्रतिशत के बीच है। यदि मिशन मोड में काम हुआ, तो इस वर्ष के अंत तक संपूर्ण विद्युतीकरण के लक्ष्य को हासिल करना कठिन नहीं होगा। हालांकि देश में ऐसे परिवारों की संख्या कम नहीं है, जो शायद लगातार बिजली शुल्क का भुगतान नहीं कर सकें। हम उन्हें कनेक्शन तो दे देंगे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति जब तक शुल्क वहन करने की नहीं होगी, तो वे चाहकर भी विद्युत सेवा का उपयोग नहीं कर पाएंगे।

इसलिए एक तो बिजली के शुल्क का निर्धारण व्यावहारिक करना होगा, गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए अलग शुल्क की व्यवस्था करनी होगी। लेकिन सबसे बढ़कर लोगों की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए सरकार को काम करना होगा, ताकि वे सम्मानजनक जीवन भी जी सकें।

हर घर को रोशन करने की चुनौती, समय सीमा से पहले बिजली पहुंचना एक बड़ी उपलब्धि (दैनिक जागरण)

केंद्र सरकार के प्रयासों को हाल में तब बड़ी कामयाबी मिली जब बीते शनिवार को देश के सभी गांवों तक बिजली पहुंच गई। मणिपुर के सेनापति जिले का लेसांग गांव राष्ट्रीय पॉवर ग्रिड से जुड़ने वाला देश का आखिरी गांव बना। देश के हर क्षेत्र में बिजली पहुंचाने की दिशा में यह यह एक बड़ा बदलाव है। इसके सकारात्मक नतीजे आएंगे। आजादी के 70 साल बाद अंधेरे में डूबे 18 हजार से अधिक गांवों में समय सीमा से पहले बिजली पहुंचना एक बड़ी उपलब्धि है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त 2015 को लाल किले की प्राचीर से एक हजार दिनों में देश के इन गांवों में बिजली पहुंचाने का समयबद्ध लक्ष्य तय किया था।

इसके तहत ग्रामीण घरों और कृषि कार्यों के लिए अलगअलग फीडर की व्यवस्था कर पारेषण और वितरण ढांचे को मजबूत किया गया और सभी स्तरों पर मीटर लगाया गया। माइक्रो ग्रिड की स्थापना भी की गई और राष्ट्रीय पॉवर ग्रिड से दूर दराज के इलाकों के लिए ऑफ ग्रिड वितरण नेटवर्क तैयार किया गया। इसमें जिस भी गांव के समुदाय भवन अथवा पंचायत भवन तक बिजली पहुंच जाती है उसे विद्युतीकृत गांव मान लिया जाता है। लक्ष्य का तय समय से 12 दिन पहले ही पूरा हो जाना एक बड़ी कामयाबी है।

सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए बिजली एक अनिवार्य जरूरत होने के बावजूद ग्रामीण विद्युतीकरण पर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना दिया जाना चाहिए था। देश के आजाद होने के समय महज 1500 गांवों तक बिजली पहुंची थी। ग्रामीण विद्युतीकरण में तेजी लाने के लिए 1969 में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना की गई। इसके साथ कई और प्रयास किए गए जैसे न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत ग्रामीण विद्युतीकरण कुटीर ज्योति योजना, त्वरित ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम। इसके बावजूद 1991 तक 481124 गांवों तक ही बिजली पहुंच पाई। व्यावहारिक कठिनाइयों और राज्य बिजली बोर्डों के घाटे में चलने के कारण 2004 तक कई गांव बिजली सुविधा से वंचित कर दिए गए। इस प्रकार बिजली विहीन गांवों की संख्या घट गई। दूसरे मीटर व्यवस्था न होने से बिजली बिल की वसूली नहीं हो पाई और बिजली चोरी में तेजी आई।

विद्युतीकृत गांवों की घटती संख्या को देखते हुए ग्रामीण विद्युतीकरण से संबंधित सभी योजनाओं का विलय कर 2005 में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना शुरू की गई। इसमें दिसंबर 2012 तक सभी घरों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया जो पूरा नहीं हो पाया। मोदी सरकार ने देश के सभी हिस्सों में सातों दिन चौबीसों घंटे निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति के लिए नवंबर 2015 में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की शुरुआत की। हर गांव तक बिजली पहुंचाने के बाद अब गांव बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर जहां इसे भारत की विकास यात्रा में एक ऐतिहासिक दिन कहा, वहीं गांवों तक बिजली पहुंचाने का काम करने वाली नोडल एजेंसी आरईसी यानी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने एलान किया कि देश के सभी गांवों तक बिजली पहुंचा दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में स्वाधीनता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए एक हजार दिनों के भीतर संपूर्ण ग्राम विद्युतीकरण का वादा किया था। तब कोई 18,450 गांव ही रह गए थे जहां बिजली नहीं पहुंची थी। उन तक बिजली पहुंचाने के लिए सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत 75,893 करोड़ रुपए आबंटित किए। बाद में पता चला कि कोई बारह सौ गांव और भी हैं, जहां बिजली नहीं पहुंची थी। इस तरह इस योजना ने अपनी मंजिल पा ली है, और इसमें वैसी देरी या ढीलमढाल भी नहीं हुई जो कि अमूमन सारी सरकारी योजनाओं में दिखती है।

शायद प्रधानमंत्री की दिलचस्पी के कारण संबंधित महकमों ने इस योजना को लेकर एक मिशन की तरह काम किया। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि पहले हुए कामों को नजरअंदाज कर दिया जाए। जब देश आजाद हुआ तब विद्युतीकरण के दायरे में केवल पंद्रह हजार गांव थे। वर्ष 1991 तक विद्युतीकृत गांवों की संख्या 4 लाख 81 हजार से ज्यादा हो गई। सरकार के आंकड़े बताते हैं कि 31 मार्च 2015 तक देश के 97 फीसद गांवों का विद्युतीकरण हो चुका था। यानी जब प्रधानमंत्री ने बिजली से वंचित गांवों तक एक हजार दिनों के भीतर बिजली पहुंचा देने का वायदा किया, तब सिर्फ तीन फीसद गांव ही रह गए थे जहां बिजली नहीं पहुंची थी। अगर राज्यों के हिसाब से देखें, तो बहुत-से राज्यों ने पहले ही संपूर्ण ग्राम विद्युतीकरण का लक्ष्य पा लिया था। लेकिन विद्युतीकरण का यह बचा-खुचा दौर काफी चुनौतियों भरा था, क्योंकि विद्युतीकृत होने से रह गए गांव काफी दूरदराज के और दुर्गम इलाकों के थे; उन तक साज-सामान और कर्मचारियों को पहुंचाना आसान नहीं था। लेकिन समग्र ग्राम विद्युतीकरण का लक्ष्य दोनों तरीकों से हासिल किया गया- नेशनल ग्रिड से जोड़ कर भी, और उसके बगैर भी। ग्राम विद्युतीकरण का यह अर्थ नहीं है कि गांव के हरेक घर में बिजली पहुंच गई।

ग्राम विद्युतीकरण का अर्थ है कि गांव के कम से कम दस फीसद घर और स्कूल, पंचायत कार्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जैसे सार्वजनिक स्थल बिजली से जुड़ गए। जाहिर है, हर घर तक बिजली कनेक्शन पहुंचाने का काम अभी पूरा नहीं हो पाया है। अलबत्ता संपूर्ण ग्राम विद्युतीकरण का ढांचागत लक्ष्य पूरा हो जाने से, अब कनेक्शन की मांग को पूरा करना मुश्किल नहीं होगा। इसी के साथ भारत की प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत बढ़ने के आसार हैं, जो कि दुनिया में काफी कम है। बहरहाल, सभी गांवों तक बिजली के आधारभूत ढांचे की पहुंच होना ही काफी नहीं है। ट्रांसफार्मर और बिजली के कनेक्शन होते हुए भी उत्तर प्रदेश, बिहार समेत अनेक राज्यों के ग्रामीण इलाकों में बिजली उपलब्धता कैसी है, यह किसी से छिपा नहीं है। लिहाजा, अब सरकार को पारेषण क्षति को न्यूनतम करने, बिजली-चोरी रोकने और आपूर्ति सुधारने पर ध्यान देना चाहिए।

महत्त्वपूर्ण उपलब्धि (बिजनेस स्टैंडर्ड)

सरकार ने रविवार को कहा कि देश के सभी गांवों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य पूरा हो चुका है। यह लक्ष्य मई 2017 तक पूरा किया जाना था, बहरहाल यह ऐसी उपलब्धि है जिस पर गौर किया ही जाना चाहिए। कई स्तरों पर यह बहुत खेद की बात है कि देश के गांवों तक बिजली पहुंचाने में इतना अधिक वक्त लग गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने उचित ही इसे प्राथमिकता में लिया और एक ऐसी व्यवस्था तैयार की जिसके तहत गांवों तक बिजली पहुंचाने के काम को ऑनलाइन ट्रैक करना संभव हुआ।

असली चुनौती हर घर को रोशन करने की है, क्योंकि अभी भी साढ़े तीन करोड़ ग्रामीण घर अंधेरे में डूबे हैं। इन तक बिजली पहुंचाने के लिए मार्च 2019 की समय सीमा निर्धारित की गई है। इसके लिए प्रधानमंत्री सहज हर घर बिजली योजना (सौभाग्य) शुरू की गई। इसके तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को मुफ्त में बिजली कनेक्शन मुहैया कराया जा रहा है।

यह बिजली की प्रति व्यक्ति की खपत को बढ़ाने का काम करेगी, जो अभी 1200 किलोवाट घंटा ही है। बिजली खपत का यह औसत विश्व में सबसे कम खपत करने वाले देशों में है। संयुक्त राष्ट्र डेवलपमेंट प्रोग्राम की एनर्जी प्लस नामक रिपोर्ट के मुताबिक रोशनी के लिए बिजली जरूरी है, लेकिन इससे ग्रामीण विकास का लक्ष्य हासिल नहीं होगा। बिजली का असली लाभ तब मिलेगा जब उसका उपयोग उत्पादक गतिविधियों में हो ताकि यह आमदनी बढ़ाने और गरीबी उन्मूलन का कारगर हथियार बने। स्पष्ट है कि ग्रामीण विद्युतीकरण को उत्पादक गतिविधियों से जोड़ने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इससे बिजली बिल की समय से वसूली होगी और आपूर्ति में भी सुधार आएगा। सौभाग्य योजना में इस पहलू पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस योजना में बिजली आपूर्ति को घरों को रोशन करने से आगे बढ़ाकर सामाजिक-आर्थिक विकास से जोड़ दिया गया है। दूसरे शब्दों में बिजली आपूर्ति को पर्यावरण सुधार, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षण गतिविधियां, संचार संपर्क आदि से संबद्ध कर दिया गया है।

सौभाग्य योजना की कामयाबी के बाद बिजली खपत में तेजी आएगी और भारत अमेरिका एवं चीन के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा बिजली उपभोक्ता बन जाएगा। भारत में दुनिया की 16 फीसद आबादी रहती है, लेकिन विश्व की कुल बिजली खपत में उसकी हिस्सेदारी महज 3.5 फीसद ही है। देश में व्याप्त गरीबी, बेकारी की एक बड़ी वजह यह भी है। ग्रामीण इलाकों में बिजली खपत बढ़ने से केरोसीन और डीजल पर निर्भरता घटेगी। इससे खेती की लागत में भी कमी आएगी, साथ ही बिजली के अभाव में ग्रामीण इलाकों में जो आर्थिक गतिविधियां शुरू नहीं हो पाती हैं वे भी शुरू होंगी। इस सबके अतिरिक्त भारत अपनी जलवायु परिवर्तन संबंधी प्रतिबद्धताओं पर भी खरा उतर सकेगा।

संभावित प्रश्न

प्रश्न. ग्रामीण विद्युतीकरण को ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिये बहुत ही महत्त्वपूर्ण समझा जाता है। साथ ही ग्रामीण भारत में आर्थिक एवं मानवीय विकास तभी संभव है जब बिजली की आपूर्ति व्यापक हो। इस कथन के सन्दर्भ में विद्युत जैसी मानवीय मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ती हेतु सरकार द्वारा क्या पहल किये जाने चाहिए? चर्चा कीजिये।

(250 शब्द)

सरकार ने इस दौरान काफी हद तक समयसीमा का भी ध्यान रखा। यह काम आसान नहीं था। बल्कि यह काफी चुनौतीपूर्ण था क्योंकि विद्युतीकरण के आखिरी दौर में उन गांवों तक बिजली पहुंचानी थी जो दूरदराज के इलाकों में थे और ऐसे पहाड़ी इलाकों में थे जहां लोगों और सामग्री को पहुंचाना काफी मुश्किल काम था। ऐसे में इस उपलब्धि के लिए सरकार को बधाई देनी तो बनती है। परंतु फिर भी पूर्ण विद्युतीकरण की उपलब्धि का वह तात्पर्य नहीं है जो होना चाहिए। विद्युतीकरण की परिभाषा बेहद कमजोर है। इसके लिए गांव के आसपास बिजली का मूलभूत ढांचा उपलब्ध होना ही पर्याप्त है।

मसलन पंचायत कार्यालय में बिजली की व्यवस्था होना। इसके अलावा गांव के कम से कम 10 फीसदी परिवारों तक बिजली की पहुंच हो। इसमें सब तक पहुंच जैसी कोई बात नहीं है। न ही बिजली की उपलब्धता या निरंतर उपलब्धता से इसका कोई लेनादेना है। एक गांव को तब भी बिजली वाला माना जाएगा जब उसके आसपास से बिजली की लाइन गुजरती हो, पंचायत कार्यालय माइक्रो ग्रिड से संबद्ध हो और गांव के 10 फीसदी घरों में चंद घंटों के लिए ही बिजली आती हो। जाहिर सी बात है दूरदराज स्थित हर घर को ग्रिड से जोडने का काम अभी बाकी है। विभिन्न अनुमानों पर यकीन करें तो देश के 20 से 25 फीसदी घरों में अभी भी बिजली नहीं है। इसमें जो क्षेत्रवार अंतर है वह भी ध्यान देने लायक है।

आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल, पंजाब और तमिलनाडु जैसे कुछ राज्यों में जिन घरों में अभी बिजली पहुंचनी है उनकी तादाद नगण्य है। जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और असम जैसे राज्यों में तकरीबन आधे घरों को अभी बिजली ग्रिड से जोड़ा जाना बाकी है। अभी कुछ महीने पहले तक उत्तर प्रदेश और बिहार में ही करीब 2.1 करोड़ परिवारों तक बिजली नहीं पहुंच सकी थी। ग्रामीण विद्युतीकरण के लक्ष्य की इस प्राप्ति को समय की कसौटी पर भी कसना होगा और इसकी पुष्टि करनी होगी।

दरअसल इससे पहले कुछ ऐसे अवसर आ चुके हैं जब अधिकारियों ने यह घोषणा कर दी कि किसी खास गांव तक बिजली पहुंच गई है लेकिन बाद में इस खबर के गलत निकलने पर या उस पर सवाल उठने पर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। यानी दूरदराज इलाकों तक बिजली पहुंचाने की समस्या का पूरा समाधान नहीं हो सका है। किसी गांव तक बिजली पहुंचाने का यह अर्थ नहीं है कि अंतिम घर तक बिजली पहुंच गई है। इस अतिरिक्त कदम को उठाने के लिए निरंतर ध्यान देने और अधिकाधिक राजनीतिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता है जो ग्रामीण विद्युतीकरण को लेकर प्रतिबद्ध हो। आशा की जानी चाहिए कि बिजली मंत्रालय अब ऐसी जानकारी लाएगा कि कितने परिवारों तक बिजली नहीं पहुंच सकी है। तभी वास्तविक प्रगति का समयबद्ध आकलन किया जा सकेगा।

GS World
Committed To Excellence

सौभाग्य योजना?

16,320 करोड़ रुपए की लागत वाली योजना सौभाग्य का उद्देश्य अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी सुनिश्चित करते हुए सभी घरों में बिजली पहुँचाना और ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के सभी शेष गैर-विद्युतीकृत घरों में बिजली कनेक्शन सुलभ कराना है, ताकि देश में सभी घरों में बिजली पहुँचाने का लक्ष्य हासिल किया जा सके।

योजना से क्या अपेक्षित है?

- रौशनी के लिये केरोसिन का प्रयोग न करने से पर्यावरण में सुधार
  - शैक्षणिक गतिविधियों में प्रगति
  - उत्तम स्वास्थ्य सेवाएँ
  - रेडियो, टेलीविजन और मोबाइल द्वारा बेहतर संपर्कता
  - आर्थिक गतिविधियों और रोजगार में वृद्धि
  - विशेष रूप से महिलाओं सहित सभी के जीवन स्तर में सुधार
- इस योजना के तहत केंद्र सरकार से 60% अनुदान राज्यों को मिलेगा, जबकि राज्य अपने कोष से 10% धन खर्च करेंगे और शेष 30% राशि बैंकों से बतौर ऋण के रूप में प्राप्त करना होगा।
- विशेष राज्यों के लिये योजना का 85% अनुदान केंद्र सरकार देगी, जबकि राज्यों को अपने पास से केवल 5% धन लगाना होगा और शेष 10% बैंकों से कर्ज लेना होगा।
- ऐसे लगभग सभी साढ़े तीन करोड़ निर्धन परिवारों को बिजली कनेक्शन प्रदान किया जाएगा, जिनके पास अभी कनेक्शन नहीं है।
- इस योजना का लाभ गाँव के साथ-साथ शहर के लोगों को भी मिलेगा।
- ये मुफ्त बिजली कनेक्शन गरीब परिवारों को प्रदान किये जाएंगे।
- केंद्र सरकार द्वारा बैटरी सहित 200 से 300 वाट क्षमता का सोलर पावर पैक दिया जाएगा, जिसमें हर घर के लिये 5 एलईडी बल्ब, एक पंखा भी शामिल है।
- बिजली के इन उपकरणों की देख-रेख 5 सालों तक सरकार अपने खर्च पर करवाएगी।
- बिजली कनेक्शन के लिये 2011 की सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना को आधार माना जाएगा। जो लोग इस जनगणना में शामिल नहीं हैं, उन्हें 500 रुपए में कनेक्शन दिया जाएगा और इसे 10 किश्तों में वसूला जाएगा।
- सभी घरों को बिजली पहुँचाने के लिये प्री-पेड मॉडल अपनाया जाएगा।

ग्रामीण विद्युतीकरण से जुड़े प्रमुख मुद्दे

- बुनियादी ढाँचे और गाँव के कुछ सार्वजनिक केंद्रों के विद्युतीकरण के अलावा, गाँव के कुल परिवारों की संख्या में से केवल 10% परिवारों के पास विद्युत कनेक्शन होने के आधार पर एक गाँव को विद्युतीकृत माना जाता है, भले ही 90% परिवारों के पास बिजली कनेक्शन न हो।
- हालाँकि, भारत ने अब पूर्ण विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है, लेकिन भारत के ग्रामीण परिवारों (अनुमानित 31 मिलियन) का लगभग पाँचवां हिस्सा अभी भी बिजली की सुविधा से वंचित है।
- केवल उत्तर प्रदेश राज्य में अंधेरे में रहने वालों की संख्या 13 मिलियन से अधिक है।
- इसके अलावा, आधिकारिक आँकड़ों में कई गाँवों को विद्युतीकृत माना जाता है, किंतु वहाँ शिकायतें दर्ज की गई हैं कि गाँवों की अनदेखी के कारण ट्रांसमिशन तारों जैसे प्रमुख घटक की चोरी की घटनाएँ भी बढ़ गई हैं। सरकार का कहना है कि ग्रामीण विद्युतीकरण की 20 साल पुरानी परिभाषा में परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सौभाग्य योजना के माध्यम से पूर्ण विद्युतीकरण और हर घर तक बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है।
- जनगणना वाले कुल 19,679 गाँवों का विद्युतीकरण होना था, लेकिन राज्य सरकारों ने रिपोर्ट दी है कि 1305 गाँवों में कोई नहीं रहता। शेष 18,374 गाँवों का विद्युतीकरण किये जाने के बाद 100 प्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल किया जा चुका है। देश के लगभग 18 करोड़ (17,99,41,456) घरों में से 17% (3,13,65,992) तक बिजली पहुँचनी बाकी है।

विद्युत मंत्रालय के बारे में

- विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 2 जुलाई, 1992 से स्वतंत्र रूप से कार्य करना शुरू किया। इससे पूर्व इसे ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के नाम से जाना जाता था।
- विद्युत, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-III में प्रविष्टि 38 पर दिया गया समवर्ती सूची का विषय है।
- विद्युत मंत्रालय प्रमुख रूप से देश में विद्युत ऊर्जा के विकास के लिये उत्तरदायी है। यह परिदृश्य आयोजना, नीति निर्धारण, निवेश निर्णय हेतु परियोजनाओं की कार्रवाई, विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी, प्रशिक्षण एवं जनशक्ति विकास और तापीय, जलविद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण के संबंध में प्रशासन एवं कानून बनाने से संबंधित कार्य करता है।
- यह मंत्रालय विद्युत अधिनियम, 2003, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के प्रशासन और सरकार के नीति उद्देश्यों के अनुरूप, समय-समय पर यथा आवश्यक इन अधिनियमों में संशोधन करने हेतु उत्तरदायी है।

डिस्कॉम (Distribution Companies)

- डिस्कॉम विद्युत वितरण कम्पनियाँ हैं।
- भारत की विद्युत व्यवस्था को तीन भागो में बाँटा गया है-

1. विद्युत उत्पादन (Power Production)
2. विद्युत संचरण (Power transmission)
3. विद्युत वितरण (Power Distribution)

रोजगार की समस्या

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3 (भारतीय अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

एक अर्से से देश में रोजगार को लेकर बहस छिड़ी हुई है। रोजगार को लेकर चिंता की जितनी लकीरें युवाओं के चेहरे पर है, उतना ही सरकार के चेहरे पर भी, क्योंकि रोजगार एक बड़ा सवाल बनता जा रहा है। इस संदर्भ में हिन्दी समाचार पत्रों 'बिजनेस स्टैंडर्ड', 'जनसत्ता' और 'दैनिक जागरण' में प्रकाशित लेखों का सार दिया जा रहा है, जिसे GS World टीम द्वारा इस मुद्दे से जुड़ी अन्य सहायक जानकारियों को उपलब्ध कराकर एक समग्रता प्रदान की जा रही है।

आंकड़ों की समझ (बिजनेस स्टैंडर्ड)

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) से रोजगार के बारे में आश्चर्यजनक तौर पर आए बेहतर आंकड़ों ने रोजगार पर चर्चा को नया रूप दिया है और रोजगार-रहित वृद्धि पर बहस को लगभग खत्म ही कर दिया है। इन आंकड़ों से नए रोजगार के बारे में सटीक तस्वीर पेश करने का दावा अगर संदेह पैदा करता है तो इस बात की भी संभावना है कि इससे निकली खबर सकारात्मक है। अति-उत्साही प्रचारकों के शोर में यह संदेश गुम नहीं होना चाहिए। कंपनियों (20 से अधिक कर्मचारियों वाली) ने छह महीने की अवधि में 18-25 साल की उम्र के 20 लाख और कुल 33 लाख नए कर्मचारियों का ईपीएफओ में पंजीयन कराया है। इस तरह सालाना स्तर पर 40 लाख युवा कर्मचारियों के ईपीएफओ से जुडने की संभावना है और सभी उम्र समूहों के मामले में यह संख्या 66 लाख रह सकती है। कुल सक्रिय ईपीएफओ खातों की संख्या करीब छह करोड़ बताई जाती है जिसका मतलब है कि केवल युवा कर्मचारियों के संदर्भ में पंजीयन 6.7 फीसदी बढ़ा है और कुल ईपीएफओ सदस्यों की संख्या के मामले में यह वृद्धि 11 फीसदी से अधिक है। कुछ लोगों को लगेगा कि यह स्थिति सात फीसदी से थोड़ा ही अधिक दर से बढ़ रही अर्थव्यवस्था में एक-के-बदले-एक रोजगार में तब्दील हो सकती है। भारत की कामकाजी जनसंख्या केवल 1.25 फीसदी की दर से ही बढ़ रही है। अगर ऐसा है तो भारत में रोजगार वृद्धि की हालत दुनिया में सबसे मुश्किल होगी।

ईपीएफओ के आंकड़ों को व्यापक रोजगार संदर्भ में रखकर देखने की जरूरत है। जनगणना आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में हरेक उम्र समूह में 2.5 करोड़ लोग कामकाजी श्रेणी में आने के लिए तैयार हैं। आधी सदी पहले करीब 1.3 करोड़ लोग कामकाजी उम्र में दाखिल हो रहे थे लेकिन अब वे कामकाजी उम्र को पार कर चले होंगे। अगर दोनों आंकड़ों की तुलना की जाए तो तब और आज में कामकाजी श्रमिकों की संख्या में वार्षिक वृद्धि 1.2 करोड़ (2.5-1.3=1.2) ही रही है। देश के समक्ष मौजूद रोजगार चुनौती की चर्चा करते समय इसका जिक्र किया जाता है।

लेकिन कामकाजी उम्र सीमा में दाखिल होने वाले सभी लोग काम नहीं करते हैं। कुछ घरेलू कामों में लग जाते हैं तो कुछ उच्च शिक्षा ग्रहण करने लगते हैं। सच तो यह है कि पिछले 15 वर्षों में स्कूली शिक्षा के बाद कॉलेज में प्रवेश की दर तेजी से बढ़ी है। नतीजतन, भारत का आबादी के बरक्स रोजगार का अनुपात (15 साल से अधिक उम्र वाले) कम हो रहा है। फिलहाल यह 52 फीसदी बताया जा रहा है जबकि निम्न-मध्यम आय वाले देशों में यह औसत 55 फीसदी है। इस तरह बढ़ती श्रमशक्ति को खपाने के लिए हरेक साल 1.2 करोड़ का 52 फीसदी यानी 62.4 लाख नए रोजगार ही पैदा करने की जरूरत है।

पेरोल संख्या में बढ़ोतरी और औपचारिक रोजगार (जनसत्ता)

भारत सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) से जुटाए गए आंकड़ों के आधार पर रोजगार का मासिक अनुमान जारी करना शुरू किया है। ईपीएफओ संगठित एवं अर्द्ध-संगठित क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा कोष की देखरेख करता है। हाल ही में इसने सितंबर 2017 से लेकर फरवरी 2018 के दौरान के छह महीनों के लिए औपबंधिक रोजगार अनुमान जारी किए हैं। इससे पता चलता है कि छह महीनों में ईपीएफओ के पास 31.1 लाख नए खाते जुड़े (बाद में इसे संशोधित कर 32.7 लाख कर दिया गया)। विभिन्न टिप्पणीकारों ने इस आधार पर यह दावा किया कि इन महीनों में औपचारिक रोजगार तेजी से बढ़ा है। उनका कहना है कि यह आर्थिक वृद्धि रोजगार-रहित न होकर तेजी से रोजगार पैदा कर रही है।

ऐसे दावे पूरी तरह गैरजरूरी हैं। ईपीएफओ से जुड़े नए खातों की विश्वसनीयता संदेह के घेरे में है। ईपीएफओ के आंकड़ों में दोहराव और निष्क्रिय खातों की मौजूदगी के चलते इसकी गंभीर सीमाएं भी हैं। हालांकि ईपीएफओ खातों को आधार से जोडने और निष्क्रिय खातों को गणना से बाहर कर तस्वीर साफ करने की कुछ कोशिश हुई है। लेकिन आंकड़ों के काफी हद तक साफ होने के बाद भी महज नियुक्त कर्मचारियों की संख्या से नए रोजगार के बारे में नहीं पता चलता है। पेरोल वाले कर्मचारियों की संख्या बढने से नए औपचारिक रोजगार और जल्द ही औपचारिक दर्जा हासिल करने वाले अनौपचारिक रोजगारों की कुल संख्या का ही पता चलता है। दूसरा, ईपीएफओ के पास पंजीकृत कर्मचारियों में अस्थायी या अनियमित कर्मचारी भी शामिल होते हैं लेकिन उन्हें औपचारिक कर्मचारी नहीं माना जा सकता है। अंत में, ईपीएफओ से जुड़े नियमित कर्मचारी मासिक 15,000 रुपये तक का ही मूल वेतन पाते हैं जबकि 15,000 रुपये से अधिक मूल वेतन वाले अधिकतर नियमित कर्मचारियों का ईपीएफओ में पंजीकरण नहीं है। इसलिए पेरोल संख्या से हमें केवल कम वेतन वाली औपचारिक नौकरियों के ही बारे में पता चलता है, सभी औपचारिक नौकरियों के बारे में नहीं।

पेरोल अनुमान के लिए अभी तक इस्तेमाल में नहीं लाए गए आंकड़ों (राज्य कर्मचारी बीमा योजना और राष्ट्रीय पेंशन योजना) के भी उपयोग की पहल का स्वागत किया जाना चाहिए क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था में पैदा हो रहे नए औपचारिक रोजगार की संख्या के बारे में तत्काल पता चलेगा और इन आंकड़ों का इस्तेमाल भी किया जा सकेगा। मसलन, ईपीएफओ आंकड़ों के आधार पर पेरोल अनुमान जारी करने का प्रयास इनकी व्याख्या से जुड़ी समस्याओं को दूर नहीं कर सकता है। एक समय के बाद हमारे पास एक तरह की औपचारिक नौकरियों के बारे में विश्वसनीय अनुमान उपलब्ध हो जाएंगे। यह औपचारिक रोजगार के बारे में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) की तरफ से जारी किए जाने वाले अनुमानों के पूरक के तौर पर काम करेगा।

अगर 25 साल से कम उम्र वाले कर्मचारियों के पंजीयन में 40 लाख की बढ़ोतरी को नई नियुक्ति माना जा रहा है तो ईपीएफओ से संबद्ध कंपनियां साल भर में पैदा हो रहे 62.4 लाख नए रोजगार का करीब दो-तिहाई अंशदान कर रही हैं। वैसे कुल रोजगार में ईपीएफओ की हिस्सेदारी महज 12.5 फीसदी (48 करोड़ में 6 करोड़) है। रोजगार बाजार के तेजी से 'औपचारिक' शक्ल अख्तियार करने का तर्क देने वाले लोगों के लिए भी इस बात को स्वीकार कर पाना मुश्किल होगा। अधिक औपचारिक अर्थव्यवस्था के चलते अनौपचारिक रोजगार में गिरावट भी आनी चाहिए। अहम मुद्दा यह है कि ईपीएफओ के खातों में बढ़ोतरी कितने नए रोजगार अवसरों में तब्दील हो पाती है। इन आंकड़ों की समीक्षा से जवाब मिलने चाहिए। एक और संबद्ध मुद्दा यह है कि पिछले 18 महीने का समय अर्थव्यवस्था और पिछले साल विशेष पंजीकरण अभियान चलाने वाले ईपीएफओ के लिए भी असामान्य रहा है। लिहाजा केवल छह महीनों के आंकड़े हालात की सही तस्वीर नहीं पेश करते हैं और ठोस नतीजे पर पहुंचने के लिए कुछ और महीनों के आंकड़े का इंतजार करना चाहिए। इसके अलावा ईपीएफओ के रोजगार आंकड़ों को जमीनी स्तर पर परखने की जरूरत है क्योंकि अलग-अलग आंकड़े बिल्कुल अलग तस्वीर पेश कर रहे हैं। अगर ये आंकड़े सही हैं तो वे परीक्षण में सही निकलेंगे। इसीलिए सर्वे-आधारित रोजगार आंकड़े जुटाना आगे भी जारी रखना चाहिए। मकसद यह है कि रोजगार के बारे में असलियत पता चले, न कि दुष्प्रचार का मुद्दा बने।

सरकारी नौकरियों का पेचीदा सवाल, रोजगार को लेकर चिंता (दैनिक जागरण)

एक अर्से से देश में रोजगार को लेकर बहस छिड़ी हुई है। रोजगार को लेकर चिंता की जितनी लकीरें युवाओं के चेहरों पर है उतनी ही सरकार के चेहरे पर भी, क्योंकि रोजगार एक बड़ा सवाल बनता जा रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2017 में रोजगार के करीब 1.5 करोड़ अवसर सृजित हुए। बावजूद इसके तेजी से बढ़ती युवा आबादी को रोजगार देना सरकार के लिए चुनौती बनता जा रहा है। इस समय देश की 65 प्रतिशत आबादी 35 वर्ष से कम आयु वाली है। इस बड़ी आबादी में देश को आगे ले जाने की अपार संभावनाएं निहित हैं, लेकिन उसे रोजगार और सही दिशा देना भी एक चुनौती है।

बेरोजगारी का मौजूदा आंकड़ा तीन करोड़ के करीब बताया जा रहा है। एक अध्ययन के मुताबिक अभी हर साल करीबन 80 लाख नौकरियों की जरूरत है और इसे संभव बनाने के लिए देश की मौजूदा विकास दर को ढाई गुना तक बढ़ाना होगा। 2016 तक के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश भर में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों की संख्या दो करोड़ 15 लाख थी। इनमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारी तो शामिल हैं, लेकिन सेना के लोग शामिल नहीं है। देश की लगभग 1.5 प्रतिशत आबादी सरकारी नौकरी में है और प्रति एक लाख आबादी की सेवा के लिए 1622 सरकारी सेवक हैं।

रोजगार का मसला इसलिए पेचीदा होता जा रहा है, क्योंकि एक ओर युवाओं में बढ़ते निजीकरण के दौर में भी सरकारी नौकरी के प्रति आकर्षण बना हुआ है वहीं दूसरी ओर सरकारी दफ्तरों मे कामकाज की सुस्त कार्य संस्कृति और कुछ अन्य कारणों के चलते नौकरियां घटती जा रही हैं। एक तथ्य यह भी है कि औसत आयु में बढ़ोतरी के कारण सेवानिवृत्ति की आयु सीमा बढ़ाने की मांग उठ रही है। स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल के चलते औसत आयु सीमा में वृद्धि हो रही है। आज रिटायर होने के बाद भी लोगो के पास काफी लंबा जीवन होता है और उनका स्वास्थ्य भी काम करने लायक रहता है। ऐसे में वे चाहते हैं कि उन्हें कुछ और बरस काम करने दिया जाए।

एनएसएसओ 1999-2000 से ही रोजगार हालात के बारे में सर्वे करता आ रहा है और उसके आंकड़ों का इस्तेमाल 1999-2000, 2004-05, 2009-10 और 2011-12 के साल में औपचारिक रोजगार के बारे में अनुमान लगाने के लिए किया जा सकता है। इसी तरह का एक सर्वेक्षण श्रम ब्यूरो ने 2015-16 में किया था और उससे भी औपचारिक रोजगार परिदृश्य का अनुमान लगाने में मदद मिल सकती है। एनएसएसओ ने 2017-18 से श्रम शक्ति सर्वेक्षण की भी शुरुआत की है जिससे अर्थव्यवस्था में औपचारिक रोजगार संबंधी वार्षिक अनुमान लगाए जा सकेंगे।

रोजगार संबंधी आंकड़ों के ये स्रोत उच्च-प्रायिकता वाले रोजगार आंकड़ों की कमी को लेकर बेपरवाह रहे हैं। मैंने 2004-05, 2011-12 और 2015-16 के आंकड़ों के आधार पर कुछ अनुमान लगाए हैं। एक औपचारिक नौकरी को सरकारी क्षेत्र या निजी कंपनियों में नियमित वेतनभोगी नौकरी के रूप में परिभाषित किया जाता है और उसमें भविष्य निधि, पेंशन, ग्रैच्युटी, स्वास्थ्य देखभाल और मातृत्व अवकाश जैसे सामाजिक सुरक्षा लाभ भी मिलते हैं। इस परिभाषा के हिसाब से 2004-05 में 3.12 करोड़ (एनएसएसओ आंकड़ों पर आधारित), 2011-12 में 3.64 करोड़ (एनएसएसओ आंकड़ों पर आधारित) और 2015-16 में 4.14 करोड़ (लेबर ब्यूरो का सर्वेक्षण) लोगों को औपचारिक रोजगार मिला हुआ था। इस तरह, औपचारिक रोजगार में 2004-05 से 2011-12 के दौरान सालाना 7.4 लाख की औसत वृद्धि हुई जबकि 2011-12 से 2015-16 के दौरान सालाना 12.5 लाख की औसत वृद्धि देखी गई। इसका मतलब है कि दूसरी अवधि में रोजगार वृद्धि दर (3.3 फीसदी सालाना) पहली अवधि की दर (2.2 फीसदी) से तेज रही है। अगर 2015-18 की अवधि में भी औपचारिक रोजगार 3.3 फीसदी की वार्षिक वृद्धि दर से ही बढ़ा है तो हम यह मान सकते हैं कि 2017-18 में 14 लाख नए औपचारिक रोजगार पैदा हुए हैं।

एनएसएसओ अर्थव्यवस्था में पैदा होने वाले कुल रोजगार के बारे में अनुमान देता है। इससे हमें पता चलता है कि पहली अवधि में सालाना 34.6 लाख नए रोजगार अवसर पैदा हुए थे जबकि दूसरी अवधि में इसकी संख्या में सालाना 28.2 लाख की कमी आई। इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था में अनौपचारिक रोजगार पहली अवधि में सालाना 27.2 लाख बढ़ा लेकिन दूसरी अवधि में इसमें 40.7 लाख की गिरावट दर्ज की गई। ऐसे में यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पहली अवधि में औपचारिक नौकरियों में दर्ज वृद्धि काफी हद तक नई औपचारिक नौकरियों को बयां करती है वहीं दूसरी अवधि में यह हाल में औपचारिक दर्जा हासिल करने वाले अनौपचारिक क्षेत्रों में मिली नौकरियों को इंगित करती है। लिहाजा दूसरी अवधि में औपचारिक रोजगार की तीव्र वृद्धि नए रोजगार अवसरों के सृजन के मामले में अर्थव्यवस्था के बेहतर प्रदर्शन को नहीं दर्शाती है।

इन अनुमानों के आधार पर मैं तीन बातें कहना चाहता हूं। पहला, पेरोल संख्या के बारे में विश्वसनीय अनुमान लगाने की कोशिश का स्वागत किया जाना चाहिए लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि औपचारिक रोजगार के बारे में हमें दूसरे स्रोत से भी आंकड़े मिलते रहेंगे। दूसरा, हमें औपचारिक रोजगार संबंधी आंकड़ों के लिए विभिन्न स्रोतों की जरूरत है ताकि हम इसकी अहमियत और वृद्धि का सही आकलन कर सकें। पेरोल अनुमान पूरी तरह भरोसेमंद होने पर भी अर्थव्यवस्था में औपचारिक रोजगार की सही संख्या और उसमें आए बदलावों के बारे में नहीं बता पाएगा। वे अनुमान एनएसएसओ की तरफ से औपचारिक रोजगार के बारे में पेश अनुमानों के पूरक भले बन सकते हैं, उनकी जगह नहीं ले सकते हैं। अंतिम बात, हमें औपचारिक रोजगार में चिह्नित बदलावों की अहमियत को समझने के लिए रोजगार के व्यापक परिदृश्य को समझने की जरूत है। बड़ी तस्वीर कभी भी पेरोल अनुमानों से नहीं उभर सकती है। महज पेरोल वाले कर्मचारियों की संख्या में आए बदलावों के आधार पर औपचारिक रोजगार पैदा होने संबंधी दावा करना हमेशा गलत ही साबित होगा।

GS World Committed To Excellence

तर्क दिया जाता है कि नए नियुक्त लोगों को काम करने योग्य बनाने से पहले प्रशिक्षित करने की जरूरत होती है जबकि सेवारत लोग पहले से प्रशिक्षित होते हैं और उन्हें लंबा अनुभव भी होता हैं। इन्हीं दलीलों के चलते चिकित्सा, शिक्षा, अनुसंधान आदि से संबंधित विभागों में सेवानिवृत्ति की आयु सीमा बढ़ा भी दी गई है, जबकि कुछ अन्य क्षेत्रों में विचार हो रहा है। इस विचार केरास्ते में यदि कोई रुकावट है तो वह है बेरोजगार युवाओं की बढ़ती संख्या जिसे ज्यादा लंबे समय तक नजरंदाज भी नहीं किया सकता। इस लिहाज से कुछ लोगों का मानना है कि बढ़ती औसत आयु और सेवारत लोगों की काम करते रहने की इच्छा के कारण भी रोजगार के नए अवसर सृजित नहीं हो रहे हैं।

यह एक नई तरह की चुनौती है जिससे निपटने के लिए तरह-तरह के उपाय सुझाए जा रहे हैं। पारंपरिक सोच कहती है कि लोग समय पर रिटायर हों और उनके स्थान पर बिना देरी के नए लोगों को नौकरी मिले, जबकि नई सोच रोजगार के नए अवसरों के सृजन की वकालत करती है। तर्कसंगत तो यही लगता है कि जहां-जहां सेवानिवृत्ति की आयु सीमा में बढ़ोतरी की जा रही है वहां-वहां रोजगार के अवसर बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में कमी के लिए कुछ जिम्मेदार हमारे वे कर्मचारी भी हैं जिन्होंने सरकारी विभागों मे एक नई कार्य संस्कृति को जन्म दिया है। इसके तहत कुछ लोगों ने निष्ठा और लगन से काम करना छोड़ दिया है। ऐसे लोग जिस शिद्दत से अपने निजी काम करते हैं वैसी शिद्दत सरकारी काम में नहीं दिखाते। ऐसे लोग बड़ी जल्दी वेतन को पेंशन समझने लग जाते हैं। उदाहरण के रूप में कई शिक्षकों का ध्यान सरकारी शिक्षण संस्था में पढ़ाने में कम होता है जबकि ट्यूशन या कोचिंग में ज्यादा। इसका एक नतीजा यह है कि सरकारी स्कूलों में पठन-पाठन का स्तर गिरा है और लोगों ने अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजना कम कर दिया है। कई डॉक्टर भी ऐसे हैं जो सरकारी अस्पतालों के बजाय अपने क्लीनिक में ज्यादा समय देते हैं। इसका एक परिणाम सरकारी अस्पतालों की गिरती दशा के रूप में सामने आ रहा है और दूसरा निजी अस्पताल में बढ़ती भीड़ के रूप में। जब सरकारी स्कूलों में विद्यार्थी कम होंगे और अस्पतालों में रोगी कम होंगे तो वहां काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या घटना स्वाभाविक है। स्कूलों और अस्पतालों जैसा हाल अन्य विभागों का है।

हालांकि सरकारों ने शिथिल और लापरवाह अथवा भ्रष्ट कर्मचारियों को अनुशासनात्मक कार्रवाई करके हटाना शुरू किया है, लेकिन न्यायपालिका की उदारता से उन्हें हटाना मुश्किल होता है। कई कर्मचारी मुकदमा लड़कर नौकरियों में पूरे लाभ सहित लौट आते हैं। इस समस्या का आर्थिक पक्ष भी है। एक सरकारी कर्मचारी पर किसी काम के लिए सरकार जितना खर्च करती है वही काम उससे काफी कम खर्च मंत और बेहतर तरीके से निजी क्षेत्र के लोग करके दे रहे हैं। चूंकि मौजूदा दौर में धन की बचत सरकार के लिए भी मायने रखती है इसलिए पिछले कुछ बरसों से किफायत और गुणवत्ता के मद्देनजर ज्यादा से ज्यादा सरकारी काम बाहर से कराने पर जोर बढ़ता जा रहा है। अब तो जहां-जहां संभव है, सरकारी विभाग अपना ज्यादा से ज्यादा काम बाहर से कराने लगे हैं। जाहिर है कि आउटसोर्सिंग भी सरकारी नौकरियों में कमी का एक कारण बन रही है और निजी क्षेत्र का तेजी से विकास हो रहा है। ऐसे में निजी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की मांग बढ़ना स्वाभाविक है।

इसी कारण रोजगार के अवसर निजी क्षेत्र में तो बढ़ते जा रहे, लेकिन सरकारी क्षेत्र में घट रहे हैं। निजी क्षेत्र के अपेक्षाकृत कम संगठित होने के कारण उसमें सृजित रोजगार के अवसरों की गिनती भी ठीक से नहीं हो पा रही है। इस कारण सरकारी क्षेत्र में नौकरियों की कमी की बात तो सब कर रहे हैं, लेकिन निजी क्षेत्र में बढ़ रहे रोजगार के अवसरों को गिना ही नहीं जा रहा और अगर गिना भी जा रहा तो कुछ लोग उस पर सवाल उठाने में देर नहीं कर रहे हैं।

यह सही है कि किसी जमाने में देश में गैर सरकारी और निजी क्षेत्र आज जितना विकसित नहीं था और सबकी नजर सरकारी नौकरियों पर ही लगी रहती थी, लेकिन अब जब निजीकरण के चलते देश में गैर सरकारी और निजी क्षेत्र फलफूल रहा है तो वहां उपलब्ध रोजगार के अवसरों को कम महत्वपूर्ण क्यों माना जाए? आज जरूरत इस बात की है कि हमारे युवा केवल सरकारी नौकरी को ही रोजगार मानने की मानसिकता से बाहर निकलें। इसके साथ ही निजी क्षेत्र को भी केवल लाभ कमाने के दृष्टिकोण से बाहर निकालकर अपने कर्मचारियों के बारे में एक उदारवादी और कल्याणकारी सोच अपनानी होगी। इसी के साथ सरकार को भी निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के हितों को सुनिश्चित बनाने के लिए कुछ उपाय करने होंगे।

GS World टीम...

चर्चा में क्यों?

- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पहली बार रोजगार को लेकर आंकड़े जारी किए हैं। इसके तहत फरवरी में जनवरी के मुकाबले नए नौकरियों के मौकों में 22 फीसद तक की कमी दर्ज की गई है। जारी आंकड़ों के अनुसार, जनवरी में रोजगार के 6.04 लाख नए मामले सृजित हुए थे। फरवरी में यह 4.72 लाख ही रहा। दिसंबर के बाद इसमें वृद्धि दर्ज की गई थी। नवंबर के मुकाबले दिसंबर में भी नए रोजगार के मौकों में भी कमी दर्ज की गई थी।

ईपीएफओ में हुए 18.5 लाख रजिस्टर्ड

- ईपीएफओ की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार सितंबर से फरवरी तक कुल 31 लाख लोगों ने ईपीएफ में खाता खोला है। जिनमें से 18 से 25 साल की उम्र के 18.5 लाख युवा है। जानकारों की मानें तो 18 से 25 साल की उम्र वालों को अलग कर दें और सिर्फ इससे ज्यादा उम्र वालों के फंड से जुड़ने को देखा जाए, तो इससे पता चलता है कि अर्थव्यवस्था का काफी हिस्सा धीरे-धीरे संगठित होता जा रहा है।

एनपीएस से जुड़े 3.50 लाख

- वहीं नेशनल पेंशन सिस्टम द्वारा जारी आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो 6 महीनों के दौरान केंद्रीय और सरकारी क्षेत्र से 3 लाख 50 हजार लोगों ने नए अकाउंट खुलवाएं हैं। ईपीएफ और एनपीएस के डाटा को जोड़ दिया जाए तो कुल नए रोजगार की संख्या 22 लाख के पास पहुंच रही है। ईपीएफओ और एनपीएस की तरफ से जारी यह डाटा मोदी सरकार के लिए काफी राहत देने वाला साबित होगा।

ईएसआई ने भी जारी किए आंकड़े

- एनपीएस और ईपीएफओ के अलावा इम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने भी बुधवार को पेरोल के आंकड़े जारी किए हैं। हालांकि इस डाटा की फिर से जांच हो सकती है। क्योंकि आधार से लिंक डाटा नहीं है। इस डाटा में सामने आया है कि 18 से 25 साल की उम्र के 8,30,000 नए लोग जुड़े हैं। अगर इस डाटा को भी शामिल किया जाए, तो देश में कुल नये रोजगार का आंकड़ा 30 लाख के पार पहुंच सकता है।

अन्य संबंधित तथ्य

- भारत में रोजगार वृद्धि दर में 2015-16 में 0.1 फीसदी और 2016-17 में 0.2 फीसदी की कमी आई है, हालांकि देश का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 7.4 फीसदी और 8.2 फीसदी की वृद्धि हुई है, जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समर्थित एक शोध परियोजना, इंडिया KLEMS डेटाबेस द्वारा जारी आंकड़ों से पता चलता है।
- 2009 में शुरू किया गया, डेटाबेस उद्योग और सेक्टर-वार उत्पादकता की वृद्धि मापता है।
- कई क्षेत्रों (जिनमें खनन और उत्खनन, और वस्त्र और विनिर्माण शामिल हैं) ने 2014-15 और 2015-16 के बीच रोजगार वृद्धि दर में गिरावट देखी है। 2005-06 से कृषि में नकारात्मक वृद्धि दर देखी गई है, और पिछले पांच वर्षों में, विकास दर 2011-12 में -1.9 फीसदी से घटकर 2015-16 में -3.6 फीसदी हो गई है।
- निर्माण उद्योग में स्थिर रोजगार दर देखी गई है, 2011-12 में 9.8 फीसदी और 2015-16 में चार साल बाद 8.2 फीसदी, हालांकि इंडिया KLEMS डेटाबेस यह दर्शाता है कि क्षेत्र की कुल कारक उत्पादकता (दक्षता का एक उपाय) में हर साल गिरावट हो रही है।
- पिछले पांच सालों के लिए निर्माण उद्योग की औसत रोजगार वृद्धि दर 9 फीसदी है, जो पारंपरिक रूप से बड़े नियोक्ता हैं, वे अक्सर पूर्व कृषि श्रमिकों को काम देते हैं।
- उन्ही पांच वर्षो के दौरान (2011-12 से 2015-16) विनिर्माण की औसत रोजगार वृद्धि दर 3.2 फीसदी थी और खनन क्षेत्र का -0.76 फीसदी था।
- 2015-16 में, स्किल इंडिया मिशन ने वैकल्पिक रोजगार पाने के लिए लोगों को सही कौशल के साथ प्रशिक्षण देने पर 1,176 करोड़ रुपये खर्च किए। उसी वर्ष, रोजगार वृद्धि दर 0.2 फीसदी से कम हो गई, जो अर्थव्यवस्था के लिए नौकरियों के नुकसान का उस समय संकेत देती है, जब सरकार इस योजना के तहत 400 मिलियन लोगों को नियोजित करने का प्रयास कर रही थी।
- 'सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द इंडियन इकोनोमी' (सीएमआईई) का अनुमान है कि वर्तमान भारतीय बेरोजगारी दर 6.3 फीसदी होगी। हालांकि, नवंबर 2016 में नोटबंदी और जुलाई 2017 में माल और सेवा करों की शुरूआत के बाद, यह देखा जाना शेष है कि कई क्षेत्रों में रोजगार कितना प्रभावित हुआ है। रिपोर्टों (जैसे कि यहां और यहां) में बताया गया है कि असंगठित क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, जिसके लिए KLEMS डेटाबेस द्वारा शामिल नहीं किया गया है।

संभावित प्रश्न

प्रश्न. ''वर्तमान सरकार ने देश में व्याप्त बेरोजगारी की समस्या को समाप्त करने हेतु अब तक कई अभियानों और योजनाओं का निर्माण किया है। लेकिन इसके बावजूद इस समस्या से निजात नहीं मिल पाया है।'' इस कथन के सन्दर्भ में रोजगार के क्षेत्र में आई कमी के कारणों का उल्लेख करते हुए बताये कि पेरोल डेटा इस समस्या के निदान हेतु कितना प्रभावी साबित होगा। (250 शब्द)

अब खत्म हो विवाद

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2 (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

हाल ही में जस्टिस के.एम. जोसेफ को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने को लेकर मुद्दा चर्चा में रहा। सूत्रों के मुताबिक जोसेफ के नाम की सिफारिश पर सरकार को लग रहा है कि कॉलेजियम ने वरिष्ठता और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को नजर अंदाज किया है। इस संदर्भ में हिन्दी समाचार पत्र 'नवभारत टाइम्स' में प्रकाशित लेख का सार दिया जा रहा है, जिसे GS World टीम द्वारा इस मुद्दे से जुड़ी अन्य सहायक जानकारियों को उपलब्ध कराकर एक समग्रता प्रदान की जा रही है।

उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के. एम. जोसेफ को सुप्रीम कोर्ट जज बनाने की सिफारिश सरकार के पास दोबारा भेजी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की शुक्रवार को हुई बैठक में यह निर्णय किया गया। लेकिन इस संबंध में अंतिम फैसला 16 मई को होगा क्योंकि कुछ अन्य हाई कोर्ट के जजों के नाम भी साथ में भेजे जाएंगे। अभी उन पर विचार होना है, लेकिन जोसेफ का नाम फिर से भेजने पर जजों में आम सहमति है और वे इस पर दृढ़ हैं।

कोलेजियम ने 10 जनवरी को जस्टिस जोसेफ और वरिष्ठ वकील इंदु मल्होत्रा को सुप्रीम कोर्ट जज बनाने की सिफारिश एक साथ सरकार को भेजी थी, लेकिन सरकार ने सिर्फ इंदु मल्होत्रा के नाम को मंजूरी दी। जस्टिस जोसेफ का नाम दोबारा विचार के लिए कॉलेजियम के पास भेज दिया। जोसेफ का नाम स्वीकार न करने के पीछे कई वजहें बताई गई थीं। सरकार का कहना था कि हाई कोर्ट के जजों में जस्टिस जोसेफ वरिष्ठता के लिहाज से 42वें हैं जबकि 11 हाई कोर्ट चीफ जस्टिस उनसे सीनियर हैं। उसने प्रतिनिधित्व का भी सवाल उठाया और कहा कि केरल हाई कोर्ट के एक जज पहले से सुप्रीम कोर्ट में हैं जबकि अनेक हाई कोर्टों से कोई जज नहीं हैं।

बहरहाल अब कॉलेजियम, सरकार द्वारा उठाए गए तमाम प्रश्नों के जवाब के साथ जस्टिस जोसेफ का नाम भेजेगी। मौजूदा नियमों के तहत अगर कॉलेजियम दोबारा किसी नाम को सरकार के पास भेजती है तो सरकार उसे वापस नहीं कर सकती। हालांकि उस पर अमल करने को लेकर कोई समय सीमा तय नहीं है। इसलिए कुछ विशेषज्ञों को आशंका है कि सरकार नियुक्ति का नोटिफिकेशन जारी करने में देरी कर सकती है। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार ऐसा नहीं करेगी। हाल में कई ऐसे मौके आए, जब जजों की नियुक्ति और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर कार्यपालिका और न्यायपालिका का टकराव उजागर हुआ। दोनों ने एक-दूसरे पर आरोप लगाए। अब एक ऐसा अवसर आ रहा है जब इस विवाद को खत्म किया जा सकता है।

अगर कॉलेजियम जस्टिस जोसेफ का नाम दोबारा भेजती है तो सरकार को इस मामले में तत्काल कदम उठाना चाहिए। वैसे भी जस्टिस जोसेफ के नाम पर दोबारा मोहर लगाए जाने के बाद किसी तरह की दुविधा नहीं रह जानी चाहिए। आखिर किसी जटिल प्रशासनिक मामले की जांच या कानूनी उलझन सुलझाने का दायित्व सरकार सुप्रीम कोर्ट के ही जजों को सौंपती है। अब जस्टिस जोसेफ के नाम पर जब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजों ने सहमति जता दी है तो असमंजस की कोई गुंजाइश कहां है? जजों की नियुक्त में विलंब से कोर्ट का कामकाज प्रभावित हो रहा है। ऊपर से जुडिशरी और सरकार में टकराव से जनता में निराशा भी फैल रही है। उम्मीद है यह मसला जल्दी ही सुलझा लिया जाएगा।

GS World टीम...

चर्चा में क्यों?

- केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता इंदु मल्होत्रा को उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने को मंजूरी दे दी है। इस तरह, बार से सीधे उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश नियुक्त होने वाली वह पहली महिला जज होंगी।

सुप्रीम कोर्ट में महिला न्यायाधीशों का इतिहास

- सुप्रीम कोर्ट 1950 में बना उसके 39 साल बाद 1989 में एम फातिमा बीवी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज नियुक्त हुई। फातिमा बीवी केरल हाईकोर्ट से सेवानिवृत्त होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त हुई थी। वे 29 अप्रैल, 1992 को सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त हुई। बाद में वे तमिलनाडु की राज्यपाल भी नियुक्त हुई।
- सुप्रीम कोर्ट में दूसरी महिला जज सुजाता वी मनोहर हुई जिन्होंने जज के रूप में अपने कैरियर की शुरूआत बाम्बे हाईकोर्ट जज से की थी। वे सुप्रीम कोर्ट में 8 नवंबर, 1994 से 27 अगस्त, 1999 तक न्यायाधीश रहीं। जस्टिस सुजाता मनोहर के सेवानिवृत्त होने के करीब पांच महीने बाद जस्टिस रूमा पाल सुप्रीमकोर्ट की जज बनीं। जस्टिस पाल सबसे लंबे समय तक रहीं। वे 28 जनवरी, 2000 से लेकर 2 जून, 2006 तक सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश रहीं। उनके बाद चार साल तक सुप्रीम कोर्ट में कोई महिला जज नहीं रही।
- चार साल बाद झारखंड हाईकोर्ट की तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश नियुक्त हुई। जस्टिस मिश्रा 30 अप्रैल, 2010 को सुप्रीम कोर्ट जज बनी और 27 अप्रैल, 2014 को सेवानिवृत्त हुईं। इसी दौरान जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई सुप्रीम कोर्ट की जज बनीं। जस्टिस देसाई 13 सितंबर, 2011 से लेकर 29 अक्टूबर, 2014 तक सुप्रीम कोर्ट की जज रहीं। इस दौरान पहली बार सुप्रीम कोर्ट में एक साथ दो महिला जज रहीं।
- जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की सेवानिवृत्ति के करीब दो महीने पहले सुप्रीम कोर्ट की वर्तमान महिला जज आर. भानुमति सुप्रीम कोर्ट जज नियुक्त हुई। जस्टिस भानुमति 13 अगस्त, 2014 को सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश नियुक्त हुई। वे 19 जुलाई, 2020 को सेवानिवृत्त होंगी। सुप्रीम कोर्ट के 67 सालों के इतिहास में सिर्फ दो बार एक साथ दो महिला जज रहीं।

जस्टिस केएम जोसेफ के लिए रुकावट का कारण

- सूत्रों के मुताबिक जस्टिस जोसेफ के नाम की सिफारिश पर सरकार को लग रहा है कि कोलेजियम ने वरिष्ठता और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को नजरअंदाज किया है। जस्टिस जोसेफ हाईकोर्ट के 669 जजों की वरिष्ठता सूची में 42वें नंबर पर हैं।
- दरअसल जस्टिस जोसेफ ने अप्रैल, 2016 में उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को खारिज कर दिया था। इससे पहले कानूनी विशेषज्ञों ने एक नाम को मंजूरी देने और दूसरे को रोके रखने की सरकार की मंशा के खिलाफ अपनी राय दी थी।

केशवानंद भारती मामला

- 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद में यह विषय फिर से उच्चतम न्यायालय के समक्ष आया। जिस न्यायपीठ ने इसे सुना उसमें 13 न्यायाधीश थे। बहुमत अर्थात् 7 न्यायाधीशों ने 24वें संविधान संशोधन को विधिमान्य ठहराते हुए "गोलकनाथ मामले" में दिए फैसले को उलट दिया, किन्तु साथ ही एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया। न्यायालय ने यह कहा कि संसद् मूल अधिकारों वाले भाग में संशोधन करने के लिए उतनी ही सक्षम है जितनी कि संविधान के किसी अन्य भाग का।
- परन्तु संविधान का संशोधन करके संसद् संविधान की आधारभूत संरचना (जिसे आधारभूत लक्षण भी कहा गया है) को न तो संक्षिप्त कर सकती है, न समाप्त कर सकती है और न नष्ट कर सकती है। गोलकनाथ मामले के बाद किसी भी मूल अधिकार को न तो छीना जा सकता था और न ही नष्ट किया जा सकता था। केशवानंद मामले के वाद न्यायालय को यह विनिश्चय करना है कि कोई मूल अधिकार आधारभूत लक्षण है या नहीं। यदि वह आधारभूत लक्षण है तो उसे कदापि हटाया नहीं जा सकता।

न्यायाधीशों की नियुक्ति

- भारतीय संविधान में स्पष्ट कहा गया है कि न्यायपालिका की सलाह से कार्यपालिका न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगी। इस संबंध में अनुच्छेद 124 और 217 प्रासंगिक प्रावधान हैं।
- अनुच्छेद 124 में उल्लिखित है कि उच्चतम न्यायालय के और राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के पश्चात, जिनसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए परामर्श करना आवश्यक समझे, राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा, परंतु मुख्य न्यायाधीश से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में भारत के प्रधान न्यायाधीश से सदैव परामर्श किया जायेगा।
- अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति का उल्लेख है। इसमें कहा गया है कि भारत के प्रधान न्यायाधीश से, उस राज्य के राज्यपाल से और मुख्य न्यायाधीश से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के पश्चात, राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित। अधिपत्र द्वारा उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा।

कॉलेजियम व्यवस्था?

- देश की अदालतों में जजों की नियुक्ति की प्रणाली को कॉलेजियम व्यवस्था कहा जाता है।
- कॉलेजियम व्यवस्था के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में बनी वरिष्ठ जजों की समिति जजों के नाम तथा नियुक्ति का फैसला करती है।
- सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति तथा तबादलों का फैसला भी कॉलेजियम ही करता है। उच्च न्यायालय के कौन से जज पदोन्नत होकर सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे यह फैसला भी कॉलेजियम ही करता है।
- उल्लेखनीय है कि कॉलेजियम व्यवस्था का उल्लेख न तो मूल संविधान में है और न ही उसके किसी संशोधित प्रावधान में। वर्तमान में कॉलेजियम व्यवस्था के अध्यक्ष चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा हैं और जस्टिस जे. चेलामेश्वरम, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस मदन बी. लोकूर और जस्टिस कुरियन जोसेफ इसके सदस्य हैं।

विवाद?

- दरअसल, कॉलेजियम पाँच लोगों का समूह है और इन पाँच लोगों में शामिल हैं- भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठ न्यायाधीश। कॉलेजियम के द्वारा जजों के नियुक्ति का प्रावधान संविधान में कहीं नहीं है।

- कॉलेजियम व्यवस्था को लेकर विवाद इसलिये है क्योंकि यह व्यवस्था नियुक्ति का सूत्रधार और नियुक्तिकर्त्ता दोनों स्वयं ही है। इस व्यवस्था में कार्यपालिका की भूमिका बिल्कुल नहीं है या है भी तो बस मामूली।

सुधार के प्रयास

- गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति और तबादले के लिये राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम बनाया था।
- उल्लेखनीय है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति करने वाले इस आयोग की अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश को करनी थी। इसके अलावा, सर्वोच्च न्यायालय के दो वरिष्ठ न्यायाधीश, केन्द्रीय विधि मंत्री और दो जानी-मानी हस्तियाँ भी इस आयोग का हिस्सा थीं।
- आयोग में जानी-मानी दो हस्तियों का चयन तीन सदस्यीय समिति को करना था, जिसमें प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा में नेता विपक्ष या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता शामिल थे।
- आयोग से संबंधित एक दिलचस्प बात यह थी कि अगर आयोग के दो सदस्य किसी नियुक्ति पर सहमत नहीं हुए तो आयोग उस व्यक्ति की नियुक्ति की सिफारिश नहीं करेगा।

कॉलेजियम की समीक्षा का प्रस्ताव

- शीर्ष न्यायपालिका ने वर्ष 1961 में एस.पी. गुप्ता मामले में अपने लिये वरीयता का दावा त्याग दिया था और जजों की नियुक्ति और उनके स्थानांतरण के सिलसिले में होने वाले पत्र व्यवहार को गोपनीय नहीं रखने का आदेश देते हुए कहा था कि पारदर्शिता के बिना भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद मुक्त प्रशासन की कल्पना नहीं की जा सकती।
- इसी प्रकार 31 अगस्त, 2017 को केनरा बैंक बनाम सी.एस. स्याम मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि जब जजों की नियुक्ति, पदस्थापना और स्थानांतरण से संबंधित कारणों और उनके प्रस्तावों के बारे में जाना जा सकता है तो फिर क्लर्कों और अन्य सरकारी अधिकारियों के बारे में सूचना निजी कैसे हो सकती है और इस बारे में कुछ भी सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा सकता?

संभावित प्रश्न

प्रश्न. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश की नियुक्ति में वरिष्ठ अधिवक्ता इंदु मल्होत्रा का चुना जाना और न्यायाधीश के. एम.जोसेफ को फिर से विचार के लिए कॉलेजियम के पास भेज देना न्यायपालिका में राजनीतिक हस्तक्षेप को दर्शाता है। इस कथन का विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)

संस्थान किसी भी छात्र के अंतिम चयन का श्रेय नहीं लेता, लेकिन CLASS ROOM में सबसे बेहतर अध्यापन का दावा जरूर करता है...

IAS में सफल अभ्यर्थी...

I A S GS WORLD IAS PCS Committed To Excellence P C S

MD.: Niraj Singh

Session — 2018-19

ISO 9001:2008 Certified

सामान्य अध्ययन

नया फाउंडेशन बैच प्रारंभ

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

द्वारा आशीर्वाद सर

24th May 3:15 pm

एक ऐसा संस्थान जो कि अपनी गुणवत्ता के लिए जाना जाता है...

Visit us our You Tube Channel GS World & Subscribe...

Class Venue Vardhman Plaza — 011-27658013, 7042772062 / 63

मीडिया की आजादी : एक प्रश्न

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2 (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

हाल ही में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मीडिया की आजादी का मुद्दा पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ। और शायद यही हम इंसानो को जानवरों से अलग करती है कि इंसान कुछ नियमों से संचालित होता है, जो व्यवस्थित जीवन की जरूरी शर्त है। इस संदर्भ में हिन्दी समाचार पत्रों 'हिन्दुस्तान' और 'पत्रिका' में प्रकाशित लेखों का सार दिया जा रहा है, जिसे GS World टीम द्वारा इस मुद्दे से जुड़ी अन्य सहायक जानकारियों को उपलब्ध कराकर एक समग्रता प्रदान की जा रही है।

मीडिया की आजादी के सवाल (हिन्दुस्तान)

जानवर और इंसान में यही फर्क है कि इंसान कुछ नियमों से संचालित होता है, जो व्यवस्थित जीवन की जरूरी शर्त है, अन्यथा तो एक जंगल राज होगा, जहां बलशाली ही राज करता है। व्यवस्थित जीवन का मतलब है, एक तरह का संवाद संतुलन, जो किसी एक घटक को किसी भी स्तर पर निरंकुश होने का अधिकार नहीं देता। आजादी कैसी भी हो, आत्मसंयम मांगती है। भारतीय संविधान कुछ मौलिक अधिकार देता है, लेकिन कुछ मर्यादाएं भी तय करता है। अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार पर भी यही लागू होता है। लेकिन भारत जैसे महान और जीवंत लोकतंत्र में यह स्वतंत्र मीडिया की आवाज भोथरा करने का जरिया नहीं बन सकता।

लोकतंत्र का मतलब ही आत्मानुशासन है। इसकी सफलता सार्वजनिक जीवन और विकास-प्रक्रिया में जागरूक लोगों की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी पर निर्भर है। बदले में यह सूचनाओं और स्वतंत्र विचारों के मुक्त प्रवाह की गारंटी देता है। रोजमर्रा के जीवन के सभी पहलुओं और राज्य के कामकाज से संबंधित सभी आवश्यक तथ्यों और आंकड़ों के प्रति जागरूक जनता का सशक्तीकरण स्वतंत्र, निष्पक्ष और वास्तविक लोकतंत्र की कुंजी है। मीडिया इस भूमिका को और मजबूत करने का काम करता है। मीडिया को तो इतना सशक्त होना चाहिए कि वह इस कार्य को और ज्यादा मजबूती से अंजाम दे सके।

फिर मीडिया की आजादी पर कुछ बंदिशें क्यों? संविधान सभा की बहस के दौरान एक विचार आया था कि शर्तों या प्रतिबंधों के साथ अभिव्यक्ति की आजादी का कोई अर्थ नहीं। एक और भी विचार था कि दुनिया में कहीं भी पूरे तौर पर ऐसी आजादी नहीं है। बाद वाली बात मानी गई। सर्वोच्च न्यायालय अभिव्यक्ति और बोलने की आजादी सहित नागरिकों के मौलिक अधिकारों का सबसे बड़ा रक्षक है। प्रेस की आजादी भी संविधान के इसी प्रावधान में निहित है। सर्वोच्च न्यायालय वर्षों से इन्हीं आधारों पर मीडिया की आजादी की रक्षा करता रहा है। अंतिम स्थिति यही है कि किसी के व्यक्तिगत नागरिक अधिकारों से परे मीडिया पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं, जो विदेश संबंध, सार्वजनिक आदेश, अपराध की स्थिति में उत्तेजना फैलाने से रोकने, देश की संप्रभुता और अखंडता और सुरक्षा के सवाल, आचरण की नैतिकता और अदालत की अवमानना या मानहानि जैसे मामलों में कुछ प्रतिबंध जरूर लगाते हैं। इनमें से प्रथम तीन प्रतिबंध संविधान (प्रथम संशोधन) ऐक्ट 1951 और चौथा 16वें संविधान संशोधन के जरिए 1963 में अस्तित्व में आया।

एक व्यक्ति की बोलने की आजादी वहां खत्म होती है, जहां दूसरे की शुरू होती है, क्योंकि दोनों के अधिकार समान हैं। चौनिंग अर्नाल्ड बनाम किंग एम्परर मामले में प्रिवी कौंसिल ने यही कहा था। कौंसिल ने

अभिव्यक्ति का मुश्किल दौर (पत्रिका)

हमारे देश में जब भी हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मीडिया की आजादी की बात करते हैं तो हम सीधे 1975 में पहुंच जाते हैं और आपातकाल के हालात का जिक्र करने लगते हैं। यह सही है कि तब अखबारों को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। वह दौर पत्रकारिता के लिए बेहद खराब था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री विद्याचरण शुक्ल ने बाद में इसे गलत माना और इसके लिए माफी भी मांगी। शायद उन्हें आज तक माफ नहीं किया जा सका है। हो सकता है कि यह सही भी हो लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिहाज से कहें तो देश के वर्तमान हालात भी आपातकाल के दौर से कम तो नहीं हैं। अंतर है तो केवल इतना कि सरकार के तौर-तरीकों में बदलाव आ गया है।

पिछले दिनों राजस्थान में जो हुआ, वह तो सबके सामने ही है। कानून के जरिये मीडिया का मुंह बंद करने की कोशिश ही तो थी। ऐसा नहीं है कि एक विशेष राजनीतिक दल ही ऐसा करता हो, जो भी दल सत्ता में होता है वह अपने विरुद्ध खबरों के प्रकाशन-प्रसारण को रोकने की हर संभव कोशिश करता है। कभी विज्ञापनों का प्रलोभन होता है तो कभी विज्ञापनों को रोकने की धमकी दी जाती है।

कभी विज्ञापन सीमित कर दिए जाते हैं तो कभी बिल्कुल ही बंद कर दिए जाते हैं। किसी न किसी प्रकार से मीडिया पर दबाव बनाने की कोशिश होती ही रहती है। इतना ही नहीं, कहीं-कहीं तो कानून का दुरुपयोग करते हुए मानहानि के मुकदमे ही कर दिए जाते हैं। अमित शाह के पुत्र जयंत शाह के मामले में भी ऐसे ही आरोप लग रहे हैं। हालात तो ऐसे हैं कि पत्रकारों को जेल तक में डाल दिया जाता है। गौरी लंकेश जैसी निर्भीक पत्रकार को सच लिखने की कीमत जान देकर चुकानी पड़ती है। ऐसा करने वालों को धमकाने का दौर शुरू हो जाता है।

हमारे देश में लोकतंत्र है। जाहिर है, लोकतंत्र में सबको बोलने व लिखने की आजादी है। मीडिया का तो काम ही यही है कि सरकारी या गैर सरकारी स्तर पर भी यदि कुछ गलत हो रहा है तो उसे आईना दिखाए। लेकिन आज के दौर में तो पत्रकारों को सरकारी खबरों से दूर रखने की कोशिश होती है। सकारात्मक या मनमुताबिक खबर नहीं हो तो सरकारी अफसर, राजनेता और कॉर्पोरेट घरानों की ओर से भी दबाव बनाया जाना आम होने लगा है। कॉर्पोरेट घराने भी विज्ञापन बंद करने की धमकी देकर दबाव बनाते हैं।

ये हालात तो शहरों में है, जरा सोचिए ग्रामीण इलाकों में हालात कितने भयावह होंगे। ग्रामीण इलाकों में हो रही पत्रकारिता के जरिए ही तो पता लग पाता है कि किस कदर जंगल के जंगल साफ हो रहे हैं। अवैध तरीके से लकड़ी काटी जा रही है। अवैध खनन हो रहा है। लेकिन, वहां

माना था कि, 'पत्रकार की आजादी आम आजादी का ही हिस्सा है। उनके (पत्रकारों) दावों की सीमा, उनकी आलोचनाएं या उनकी टिप्पणी अपने आप में व्यापक हैं, लेकिन किसी अन्य विषय से उनकी वैसी तुलना नहीं की जा सकती।' सच है कि व्यक्ति हो या मीडिया, आजादी का संतुलित और तार्किक इस्तेमाल होना चाहिए और बोलने की आजादी का अधिकार इससे अलग नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय ने कई अवसरों पर मीडिया की भूमिका के महत्व को रेखांकित किया है। रमेश थापर बनाम स्टेट ऑफ मद्रास मामले में मुख्य न्यायाधीश पतंजलि शास्त्री की मान्यता थी- 'बोलने और प्रेस की आजादी किसी भी लोकतांत्रिक संगठन की आधारभूत जरूरत हैं, क्योंकि मुक्त विमर्श और जनता को शिक्षित किए बिना किसी लोकप्रिय सरकार की कल्पना ही नहीं की जा सकती।' भारत सरकार बनाम एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा,' एकतरफा जानकारी, भ्रामक जानकारी, गलत सूचना या सूचना न होना, ये सभी समान रूप से एक ऐसे अज्ञानी समाज की रचना करते हैं, जहां लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं रह जाता या यह मजाक बनकर रह जाता है। बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी में जानकारी लेने और देने का अधिकार शामिल है और विचार रखने की आजादी इसमें निहित है।'

राष्ट्र निर्माण में मीडिया की भूमिका और योगदान को देखते हुए सूचना तक इसकी पहुंच की राह या इसके प्रसार में बाधा नहीं डाली जानी चाहिए। चूंकि मीडिया की आजादी संविधान प्रदत्त है, इसलिए जरूरत पड़ने पर कार्यपालिका के हस्तक्षेप की बजाय इसके लिए कानून बनाया जाना चाहिए। ऐसे समय में, जब तकनीक की प्रगति के साथ मीडिया नया आकार ग्रहण कर रहा हो, उसके सामने नए तरह की चुनौतियां हों, तो बदलते संदर्भों के साथ हमें भी संविधान प्रदत्त व्यवस्थाओं के आलोक में ही तार्किक और व्यावहारिक समाधान निकालने की जरूरत है।

राज्य और चौथे स्तंभ के बीच मीडिया रेग्यूलेशन लंबे समय से विवाद का मुद्दा बना रहा है, लेकिन न्यू मीडिया के दौर में 'गोपनीयता पर हमले' के रूप में इस पर नई बहस छिड़ी है। ऐसे समय में जब तेजी से विकसित हो रहे समाजों में राज्य अब भी एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में मौजूद हो, और जीने और आजादी के अधिकार के अभिन्न पहलू के रूप में 'व्यक्तिगत' का उभरना और निजता की रक्षा जैसे सवाल नई परिभाषा गढ़ रहे हों, तो संवाद के लिए भी नई भाषा और नए तरीके ईजाद करने होंगे। व्यक्ति की प्रतिष्ठा अहम है और गोपनीयता इसमें अंतर्निहित है।

आजादी से पहले और बाद में मीडिया ने सशक्त भूमिका निभाई है, और इसे आगे भी ऐसी ही भूमिका निभानी होगी। हालांकि बीते कुछ सालों में सरकार, संगठनों व व्यक्तियों द्वारा मीडिया के तौर-तरीके प्रभावित करने के कुछ उदाहरण भी दिखे हैं। अधिकारों का इस्तेमाल और अपने अनुकूल वातावरण मीडिया का मौलिक अधिकार है, पर इनमें कुछ जिम्मेदारियां भी निहित हैं। अधिकार व जिम्मेदारी का सौहार्दपूर्ण निर्वहन स्वतंत्र मीडिया के विकास के लिए समय की मांग है।

सनसनी के लिए कोई जगह नहीं। अफवाहें फैलाना और पीत पत्रकारिता आत्मघाती हैं। मीडिया की विश्वसनीयता के लिए सूचनाओं की पुष्टि सबसे मजबूत आधार है, जिसके अभाव में अपुष्ट सूचनाएं कल्पनाओं को जन्म देकर माहौल बिगाड़ सकती हैं। 'प्रेस स्वतंत्रता दिवस' के अवसर पर मीडिया को जिम्मेदारी और व्यावसायिकता के बीच तालमेल बनाते हुए नई लकीर खींचने की जरूरत है। अन्य सभी हितधारकों को भी इसके अनुकूल माहौल बनाने में सहयोगी भूमिका निभानी होगी, क्योंकि लोकतंत्र और राष्ट्र-निर्माण में हम सबकी बड़ी भूमिका है।

भी दबाव बनाकर खबरों को रोकने की कोशिश हो रही है। सरकार और कॉर्पोरेट घरानों का दबाव काम नहीं आ पाता तो आपराधिक तत्वों के जरिए मीडिया का गला घोंटने की कोशिश की जाती है। उनकी कोशिश रहती है कि मीडिया के लोग केवल जनसंपर्क अधिकारियों की तरह चुपचाप मुंह बंद करके काम करते रहें।

केवल भारत में ही ऐसा नहीं हो रहा। दो दिन पहले अफगानिस्तान में हुए बम हमलों में 10 पत्रकारों की जानें चली गईं। मैक्सिको, तुर्की, सीरिया आदि में भी कुछ ऐसा ही हाल है। पाकिस्तान, चीन, रूस आदि में भी मीडिया को नियंत्रित करने की कोशिश होती रही है। लेकिन, हम तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हैं। मीडिया को अधिक निर्भीकता के साथ काम करने देने में हमें सबसे आगे होना चाहिए। आज मीडियाकर्मियों के लिए मुश्किल भरा दौर है। वे निर्भय होकर काम कर सकें, इसके लिए सुरक्षा मुहैया कराने की जरूरत है।

जरूरत इस बात की भी है कि पत्रकार बिरादरी के साथ यदि कुछ गलत होता है तो सभी मिलकर उसका विरोध करें। निर्भीकता के साथ खबरों में संतुलन बनाए रखें। यदि किसी अफसर व राजनेता पर आरोप है तो उसके विरुद्ध एकतरफा खबर पेश न की जाए। जो आरोपित है, उसका दृष्टिकोण भी लोगों के सामने पेश करना चाहिए। यह भी समझना चाहिए कि खबरों के लिए कोई हमें जरिया तो नहीं बना रहा है। हमें कोई खबरों के लिए इस्तेमाल भी कर सकता है। पहले तो दूरभाष का इस्तेमाल होता था। अब बेहतर तकनीक का सहारा लिया जाने लगा है। इंटरनेट के जरिए अब तेजी से खबरों का आदान-प्रदान हो रहा है।

देखने में यह आ रहा है कि इंटरनेट के जरिए झूठी और मनगढ़ंत खबरों को तेजी से प्रसारित किया जाता है। समाज में दंगे भड़काने की कोशिशें हो रही हैं। केवल भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में इस तरह की कोशिश हो रही है। पत्रकार बिरादरी को ऐसे हालात से सतर्क रहने की जरूरत है। यह भी समझना होगा कि गलत खबरों को प्रसारित करने के पीछे कौन लोग हैं? गलत खबरों के लिए मीडिया से जुड़े लोगों को खुद के इस्तेमाल होने से रोकना होगा। हमें खबरों को सही तथ्यों के साथ दिखाने का कर्तव्य पूरा करते रहना होगा।

संबंधित तथ्य

- हमारा देश निष्पक्ष चुनाव एवं लोगों की आवाजाही के मामलों में बहुत हद तक प्रजातांत्रिक लगता है, परंतु अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मामले में अभी भी बहुत पीछे है।
- पुराने हो चुके उपनिवेशवादी कानूनों को पकड़े रखना इसका पहला कारण है। भारतीय दंड संहिता में अनेक ऐसी धाराएं हैं, जो कला, सिनेमा और पुस्तकों पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। इनमें 124ए राजद्रोह से संबंधित एक ऐसा खंड है, जो सरकार एवं न्यायालयों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने की खुली छूट देता है।
- इसका खतरा हमारी जर्जर हो चुकी न्याय व्यवस्था से है। ऐसा लगता है कि हमारी निचली अदालतें किसी भी समुदाय द्वारा किसी फिल्म, पुस्तक या कलाकृति पर उंगली उठाते ही तुरंत उसे प्रतिबंधित करने के लिए आतुर रहती हैं। अब तो हमारी कलाओं, पुस्तकों या फिल्मों की जिन्दगी संवेदनशीलता या भावनाओं को ठेस पहुँचाए जाने की शिकायत करने वालों के हाथों की बंधक हो गई है।
- अपने नेताओं की अखण्ड छवि के प्रति एक प्रकार का दृष्टिकोण बना लेना भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए खतरा बन चुका है। हम भारतीय अपने नेताओं को एक आदर्श और प्रत्येक मापदंड पर खरा क्यों मानने लगे हैं? हमारे पूर्वज तो राम और युधिष्ठिर के छलीय एवं दैवीय दोनों ही चरित्रों को आसानी से अपना लेते थे। परंतु आज किसी बंगाली के सामने नेताजी सुभाषचन्द्र बोस, मराठी के सामने शिवाजी या तमिल के सामने पेरियार की आलोचना तो करके देखिए। आज के भारतीय क्रमशः अधिक भावुक और असहिष्णु होते जा रहे हैं। उनमें मजाक करने और सहने की शक्ति ही नहीं रही है। बिना हास्य के महान साहित्य नहीं लिखा जा सकता।
- चौथा खतरा हमें अपनी पुलिस फोर्स से है। कभी भी जब न्यायालय लेखकों या कलाकरों का पक्ष लेते हैं, तो पुलिस वाले गुंडों की मदद से उन्हें सताते हैं।
- हमारे नेताओं की कमजोरी पांचवा बड़ा खतरा है। हमारे लेखकों, फिल्मकारों या कलाकारों को कट्टरपंथियों और समाज के ठेकेदारों से बचाने के लिए नेता कभी आगे नहीं आए। उल्टा उन्होंने उन कट्टरपंथियों का ही साथ दिया। कांग्रेस ने सलमान रुशदी के सैटेनिक वर्सेस पर प्रतिबंध लगाया था और वह भी आयतुल्ला खुमैनी के फतवा जारी करने से पहले। बंगाल के शिक्षित एवं साहित्य-प्रेमी मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने तस्लीमा नसरीन की पुस्तक पर प्रतिबंध ही नहीं लगाया था, बल्कि उन्हें बंगाल से भी निष्कासित कर दिया था। इसी प्रकार गुजरात में नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हुसैन दोशी गुहा के साथ असामाजिक तत्वों ने अभद्रता की थी। वस्तुतः सभी नेता वोटों की गिनती को ध्यान में रखकर काम करते हैं। वे आने वाले चुनावों के लिए किसी जाति या धर्म के लोगों को नाराज करके अपने वोट नहीं गंवाना चाहते।
- हमारी मीडिया का सरकारी संस्थाओं पर निर्भर होना भी एक बड़ा संकट है। अधिकतर क्षेत्रीय प्रेस तो पूरी तरह से राजनैतिक संरक्षण पर चलती हैं। इनके नेता किसी भी समय मीडिया को कुछ भी छापने या न छापने पर मजबूर कर सकते हैं। स्वतंत्र संवाददातओं या खबरों को अपनी मर्जी से तोड़-मरोड़ सकते हैं। निजी क्षेत्रों में यही काम शक्ति की जगह पैसे से करवाया जाता है।
- भारतीय मीडिया को अपने संचालन के लिए व्यावसायिक विज्ञापनों पर निर्भर रहना पड़ता है। आमतौर पर अंग्रेजी अखबार एवं टेलीविजन चैनल तो पूरी तरह से इन पर ही निर्भर हैं। इसके कारण प्राणघातक उत्पाद बनाने वाली कंपनियों के विज्ञापन भी इन अखबारों एवं चैनलों पर इसलिए नहीं रोके जाते, क्योंकि ये उनके वित्तीय आधार हैं।
- अंतिम खतरा राजनैतिक दलों से है। दरअसल कुछ लेखक या कलाकार अपने कैरियर के लिए समझौते करते रहते हैं और इन राजनैतिक दलों के हाथ की कठपुतली बन जाते हैं। अधिकांश लेखक एवं साहित्यकारों के मन में समाज एवं राजनीति के बारे में कुछ ठोस विचार होते हैं। इसी कारण तो वे लिखते हैं, कलाकृति या फिल्म बनाते हैं। अतः कोई भी सृजनात्मक व्यक्ति इतना मूर्ख नहीं हो सकता कि वह अपनी अंतर्रात्मा को किसी भी राजनैतिक दल के हाथों गिरवी रख दे।

संभावित प्रश्न

प्रश्न. हमारा देश निष्पक्ष चुनाव एवं लोगों की आवाजाही के मामलों में बहुत हद तक प्रजातांत्रिक लगता है, परंतु अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मामले में अभी भी बहुत पीछे है। इस कथन के संदर्भ में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाये रखने के लिए सरकार द्वारा क्या बेहतर पहल किये जाने चाहिए? तर्क सहित उत्तर प्रस्तुत कीजिये। (250 शब्द)

रेरा का 'निर्माण'

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3 (भारतीय अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

हाल ही में रियल एस्टेट नियमन एवं विकास अधिनियम (रेरा), 2016 चर्चा में रहा, जिसका उद्देश्य अचल संपत्ति क्षेत्र को विनियमित करने तथा बढ़ावा देने के लिए एक विनियामक प्राधिकरण की स्थापना करना है, ताकि इस क्षेत्र में होने वाले लेनदेनों में दक्षता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। इस संदर्भ में हिन्दी समाचार पत्र 'बिजनेस स्टैंडर्ड' में प्रकाशित लेख का सार दिया जा रहा है, जिसे GS World टीम द्वारा इस मुद्दे से जुड़ी अन्य सहायक जानकारियों को उपलब्ध कराकर एक समग्रता प्रदान की जा रही है।

रियल एस्टेट नियमन एवं विकास अधिनियम (रेरा) 2016 को भारतीय रियल एस्टेट क्षेत्र में विद्यमान तमाम बुराइयों का नाश करने वाली दवा बताया गया था। यह कानून लाने के पीछे सोच यह थी कि रियल एस्टेट उद्योग के निष्पक्ष एवं पारदर्शी संचालन के लिए एक कानूनी ढांचा बनाया जाए। लंबे समय तक रियल एस्टेट क्षेत्र एक कानूनी निर्वात जैसी हालत में काम कर रहा था जिसके चलते अधिकांश डेवलपर और प्रॉपर्टी डीलर खरीदारों के साथ मनचाहा बर्ताव करते थे। रेरा कानून आने के पहले अधिकांश बिल्डर खरीदारों के हितों का ध्यान नहीं रखते थे और एक प्रोजेक्ट का फंड दूसरे प्रोजेक्ट में लगा देते थे। इससे निर्माणाधीन प्रोजेक्ट पूरा होने में देर होने लगी। वहीं वित्तीय सौदों में पारदर्शिता भी बहुत कम होती थी।

परिणाम यह हुआ कि भारी मांग के बावजूद खरीदारों का रियल एस्टेट बाजार में भरोसा बहुत कम रह गया। रेरा कानून से पूरी तस्वीर साफ होने, ईमानदार डेवलपरों को प्रोत्साहन मिलने और खरीदारों के साथ गलत आचरण करने वालों को दंडित करने की व्यवस्था कायम होने की उम्मीद लगाई गई थी। लेकिन इस कानून के लागू होने के एक साल पूरा होने पर यही लगता है कि रेरा अब भी एक निर्माणाधीन प्रोजेक्ट है। मसलन, रेरा कानून के तहत राज्यों में अलग रियल एस्टेट नियामक बनाने के प्रावधान को केवल तीन राज्यों ने ही पूरा किया है जबकि 26 राज्यों में अभी तक विचार ही चल रहा है। राज्यों में पूर्णकालिक नियामक नहीं होने से इस कानून के किसी भी प्रावधान को लागू करा पाना व्यावहारिक रूप से नामुमकिन है। केवल 19 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में ही रियल एस्टेट पर केंद्रित वेबसाइट बनाई गई है। जिन राज्यों में रेरा वेबसाइट बनाई गई हैं, वहां पर भी दर्ज सूचनाओं की भारी किल्लत है।

रियल एस्टेट अपीलीय पंचाट के गठन की दिशा में प्रगति बहुत ही निराशाजनक है। कुल 35 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में से केवल 15 ही इस दिशा में थोड़ा आगे बढ़े हैं। पूर्णकालिक नियामक की मौजूदगी वाले महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी हालात ठीक नहीं हैं। अकेले महाराष्ट्र में ही निर्माणाधीन 13,000 प्रोजेक्ट में से 8,000 अपनी तय अवधि से पीछे चल रहे हैं। रेरा कानून के वजूद में होने के बावजूद कई डेवलपरों ने डिलीवरी की तारीख आगे बढ़ा दी है। रेरा के तहत कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए डेवलपर यह तरीका अपना रहे हैं। खरीदारों की शिकायतों के लिए इस कानून में गठित प्रणाली भी उपभोक्ता-अनुकूल नहीं बनाई जा सकी है। तमाम दिक्कतों के बावजूद रेरा को पूरी तरह खारिज करना सही नहीं होगा। यह तो मानना ही पड़ेगा कि रेरा ने रियल एस्टेट उद्योग का सुर साधने की कोशिश की है। फंड में पारदर्शिता रखने का भारी दबाव होने से डेवलपर अब कम संख्या में नए प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। शुरुआती रुझान बताते हैं कि अब खरीदार अपने अधिकारों को लेकर अधिक जागरूक हो चुके हैं और डेवलपर भी सजग रवैया अपना रहे हैं। बदले हालात में छोटी रियल एस्टेट कंपनियों के लिए शर्तों को पूरा कर पाना मुश्किल हो रहा है। रेरा से ही यह संभव हो पाया है कि पीड़ित खरीदारों का समूह सीधे राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग से संपर्क कर सकता है जो उन्हें जल्द इंसाफ दिलाने में मदद करेगा।

हालांकि रेरा कानून का मकसद सही अर्थों में पूरा करने के लिए इसे सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में लागू करना जरूरी है। जिन राज्यों में रेरा वेबसाइट सक्रिय हैं वहां पर भी निर्माणाधीन प्रोजेक्ट के बारे में आधी-अधूरी एवं गैर-भरोसेमंद जानकारियां ही दर्ज हैं। सच्चाई परखने का कोई तरीका नहीं होने से कई खरीदार कानून से मिलने वाले लाभ एवं संरक्षण से वंचित ही हैं। इस कानून के कुछ पहलुओं में सुधार करने की भी दरकार है। मसलन, खरीदारों की शिकायतों के निपटान को सरल बनाया जाना चाहिए। किसी प्रोजेक्ट को प्रतिबंधित कर दिए जाने से पैदा हालात पर भी स्थिति साफ होनी चाहिए।

संभावित प्रश्न

प्रश्न. रियल एस्टेट अधिनियम में वर्णित प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख करते हुए रियल एस्टेट सेक्टर पर पड़ने वाले इसके प्रभावों पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

रेरा क्या है?

- रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के अंतर्गत घरेलू खरीदारों के हितों की रक्षा करने तथा अचल संपत्ति उद्योग में निवेश को बढ़ावा देने संबंधी प्रावधान किये गए हैं।
- इस विधेयक को 10 मार्च, 2016 को राज्यसभा द्वारा और 15 मार्च 2016 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया।
- उल्लेखनीय है कि केंद्रीय एवं राज्य सरकारें छह महीने की सांविधिक अवधि के भीतर इस अधिनियम के तहत वर्णित सभी नियमों को सूचित करने के लिये पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं।

उद्देश्य

- रेरा का उद्देश्य, अचल संपत्ति क्षेत्र को विनियमित करने तथा बढ़ावा देने के लिये एक विनियामक प्राधिकरण की स्थापना करना है ताकि इस क्षेत्र में होने वाले लेन-देनों में दक्षता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।
- साथ ही विवादों के शीघ्रता से समाधान की ऐसी कानूनी प्रणाली स्थापित हो जिसके तहत उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा सुनिश्चित की जा सके।

अधिनियम की विशेषता

- इस अधिनियम के अंतर्गत अचल संपत्तियों के न्यायोचित लेन-देन, बिल्डरों द्वारा समयबद्ध तरीके से आवास उपलब्ध कराने तथा निर्माण में गुणवत्ता जैसे महत्त्वपूर्ण बिंदुओं पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है।
- यह कानून बिल्डरों द्वारा मकान उपलब्ध कराने में होने वाली देरी के विरुद्ध कार्रवाई करने तथा जरूरतमंद लोगों को समय पर मकान उपलब्ध कराने में सहायता करेगा।
- इसके अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित किया गया है कि केवल उन्ही डेवलपर्स को भवन निर्माण परियोजना की शुरुआत करने का अधिकार दिया जाए जो अधिनियम के तहत पंजीकृत हो।
- इसके अलावा यह भी सुनिश्चित किया गया है कि डेवलपर्स संबंधित क्षेत्र के अधिकारियों से तमाम प्रकार की वांछित स्वीकृतियाँ प्राप्त किये बिना न तो किसी भवन निर्माण परियोजना की शुरुआत या उसका विज्ञापन जारी कर सकते और न ही मकानों की बुकिंग कर सकते हैं।
- इसके अतिरिक्त मकान की बुकिंग की राशि के संबंध में मनमाने तरीके से निर्णय करने अथवा वसूली करने की भी मनाही है क्योंकि नये नियमों के अनुसार, बुकिंग की राशि संपत्ति की कीमत का 10 प्रतिशत तय की गई है।
- इस कानून के तहत डेवलपरों के लिये परियोजना शुरू करने से संबंधित सभी प्रकार की महत्त्वपूर्ण घोषणाएँ करना अनिवार्य कर दिया गया है। इनमें विभिन्न प्राधिकारियों से प्राप्त् स्वीकृतियाँ, परियोजना शुरू होने की तारीख, तैयार हो चुके मकानों के आवंटन की तारीख, परियोजना का विवरण और उपलब्ध कराई जाने वाली अन्य सुविधाओं इत्यादि का ब्योरा प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया है।
- इतना ही नहीं इस तरह की तमाम जानकारियों को बिल्डर द्वारा परियोजना की वेबसाइट पर डालना भी जरुरी है।

रेरा के अनुपालन से क्या लाभ होगा?

- रेरा कानून के अंतर्गत सुपर बिल्ट एरिया (Super Built Area) के आधार पर संपत्ति की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। दरअसल इसके तहत खरीदार को यह जानकारी नहीं हो पाती थी कि उसके मकान में कितनी जगह होगी, जिसके कारण संदेह की स्थिति बनी रहती थी।
- परंतु, अब डेवलपरों के लिये यह जरूरी कर दिया है कि वे सिर्फ कार्पेट एरिया (खरीदार द्वारा वास्तव में उपयोग में लाए जाने वाले क्षेत्रफल) के आधार पर ही संपत्ति की बिक्री करेंगे।
- यह अधिनियम डेवलपरों द्वारा की जाने वाली धांधलियों के खिलाफ भी एक बड़ा कवच साबित होगा क्योंकि इस अधिनियम के अंतर्गत धोखाधड़ी करने वाले डेवलपर्स पर भारी जुर्माने के साथ-साथ कारावास का भी प्रावधान किया गया है।
- अधिनियम के अनुसार, अगर किसी परियोजना का प्रमोटर खरीदारों को तयशुदा तारीख तक मकान उपलब्ध नहीं करा पाता है तो उसे खरीदार द्वारा निवेश किया गया सारा पैसा अनुबंध में पहले से तय ब्याज के साथ वापस लौटाना होगा।
- लेकिन, अगर खरीदार मकान ही लेना चाहता है तो बिल्डर को देरी से मकान मिलने के समय तक मासिक आधार पर ब्याज का भुगतान करना होगा। ऐसे मामलों में अब तक बिल्डर खरीदारों को बहुत मामूली ब्याज देते थे जबकि खरीदार की ओर से भुगतान में चूक होने पर मोटा ब्याज वसूल करते थे।
- इसी प्रकार मकान की गुणवत्ता अच्छी न होने की स्थिति में भी डेवलपर पर जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है।
- रेरा के तहत पीड़ित खरीदार को फास्ट ट्रैक कोर्ट में छह महीने के भीतर न्याय मिलने की भी व्यवस्था की गई है।

चिंताएँ

- हालाँकि, तमाम सार्थक प्रयासों के बावजूद इसके संबंध में कुछ चिंताएँ भी व्यक्त की गई हैं।
- कुछ आलोचकों द्वारा इसके समुचित तरीके से समय पर लागू होने को लेकर संदेह व्यक्त किया गया है।
- साथ ही कुछ राज्यों द्वारा रेरा के विषय में अभी तक कोई अधिसूचना भी जारी नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त इस संबंध में सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य पहले से पड़ी आवास परियोजनाओं को फिर से शुरू करने का है।

संसाधन संतुलन के आयाम

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2 (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

भारत राज्यों का संघ है, मगर इसके राज्य केन्द्र के द्वारा सृजित है। यही वजह रही है कि आरंभ से ही शक्ति संतुलन का पलड़ा केन्द्र की ओर झुका रहा है। हांलाकि भारत के संविधान ने अपनी सातवीं अनुसूची में यह स्पष्ट कर रखा है कि कौन-से विधायी तथा नीतिगत क्षेत्र केन्द्र और राज्य के दायरे में रहेंगे। इस संदर्भ में हिन्दी समाचार पत्रों 'प्रभात खबर' में प्रकाशित लेख का सार दिया जा रहा है, जिसे GS World टीम द्वारा इस मुद्दे से जुड़ी अन्य सहायक जानकारियों को उपलब्ध कराकर एक समग्रता प्रदान की जा रही है।

भारत के संविधान ने अपनी सातवीं अनुसूची में यह स्पष्ट कर रखा है कि कौन-से विधायी तथा नीतिगत क्षेत्र केंद्र और राज्य के दायरे में रहेंगे। इस अनुसूची में तीन सूचियां हैं, जिन्हें क्रमश: संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का नाम दिया गया है। यह व्यवस्था न केवल जिम्मेदारियों का, बल्कि शक्तियों का भी बंटवारा कर देती है।

संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन के द्वारा ग्राम पंचायतों और नगर निकायों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गयी, जिसके बाद उसमें दो अनुसूचियां (ग्यारहवीं और बारहवीं) और जोड़ी गयीं, जिनके द्वारा ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियां साफ कर दी गयीं।

भारत राज्यों का संघ है, मगर इसके राज्य केंद्र के द्वारा ही सृजित हैं। यही वजह रही कि आरंभ से ही शक्ति संतुलन का पलड़ा केंद्र की ओर झुका रहा है। किंतु चूंकि संविधान ने स्वयं ही राष्ट्र की तीव्र विविधता तथा इसके राज्यों की विशालता को मान्यता दी, इसलिए हमने एक संघीय राज्यव्यवस्था अंगीकार की।

लेकिन, हाल के वर्षों में हम राज्य सूची के विषयों में भी केंद्र की बढ़ती दखलंदाजी देखते रहे हैं। केंद्र-राज्य संबंधों पर 1983 में सरकारिया आयोग का गठन किया गया। इसके ही फलस्वरूप साल 1990 में अंतरराज्यीय परिषद् का गठन हुआ। दुर्भाग्य से पिछले 28 वर्षों के दौरान इसकी एक दर्जन से भी कम बैठकें हुई हैं।

राष्ट्रव्यापी जीएसटी का अर्थ है कि अब और अधिक केंद्रीकरण का दौर आरंभ हो गया है, क्योंकि राज्यों ने मूल्यवर्धित कर (वैट) के संग्रहण की शक्ति छोड़ दी। इसके बदले केंद्र ने भी उत्पाद तथा सेवा कर लगाने की शक्ति का परित्याग कर दिया। आगे से सभी अप्रत्यक्ष कर नीति और दरें जीएसटी परिषद् नामक एक राष्ट्रीय परिषद् तय करेगी। पर इस निकाय में भी केंद्र को अधिक शक्तियां हासिल हैं।

हालांकि, एकीकृत, 'एक राष्ट्र-एक कर' का यह लाभ है कि इसके द्वारा एक अखंड राष्ट्रीय आर्थिक बाजार का सृजन होता है, पर एक राज्य के लिए इसका अर्थ कर स्वायत्तता में कमी भी है। चूंकि राज्यों को भी राष्ट्रीय स्तर पर तय राजकोषीय अनुशासन का पालन करना होता है, अत: राज्यस्तरीय पहलकदमियों अथवा स्थानीय आवश्यकताओं के लिए उनके प्रत्युत्तर में अधिक खर्च करने की उनकी आजादी भी सीमित होती है। वे आरबीआई और केंद्र की अनुमति के बगैर बाजार से भी उधार नहीं ले सकते।

अतीत में राजकोषीय तथा विकास के मोर्चे पर राज्यों से कई नयी चीजें निकलीं. तमिलनाडु से आरंभ मध्याह्न भोजन योजना तथा महाराष्ट्र से शुरू की गयी रोजगार गारंटी योजना इसके दो ज्वलंत उदाहरण हैं। ये दोनों अब राष्ट्रीय कार्यक्रम बन चुके हैं, जो केंद्र प्रायोजित हैं।

संभवत: इन्हीं वजहों से 14वें वित्त आयोग ने कर-संसाधनों से राज्यों का हिस्सा 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दिया, जो सहकारी संघवाद की इस भावना के अनुरूप ही था कि राज्यों को अधिक संसाधन देकर उन्हें अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित करने दी जानी चाहिए। यह वित्त आयोग की जिम्मेदारी है कि वह केंद्र तथा राज्यों के बीच शुद्ध कर संग्रहण के लंबवत तथा विभिन्न राज्यों के बीच उनके क्षैतिज बंटवारे की संस्तुति करे। इसके अलावा, जीएसटी का राज्यांश तो राज्यों के पास रहता ही है।

ऊपर से देखने में तो यह व्यवस्था शक्ति-संतुलन राज्यों के पक्ष में झुकाती दिखती है। लेकिन, कठिनाई यह है कि संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार राज्यों के लिए निर्धारित क्षेत्रों के दायरे में भी केंद्र अधिकाधिक लिप्त हो रहा है।

उदाहरणार्थ, हम मनरेगा से रोजगार, खाद्य सुरक्षा अधिनियम से खाद्य सुरक्षा, सर्व शिक्षा अभियान की मार्फत शिक्षा और अब यहां तक कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के द्वारा स्वास्थ्य बीमा के क्षेत्र में केंद्रीय प्रावधानों को ले सकते हैं। इन सबमें ज्यादा संसाधनों की जरूरत होगी और नतीजतन वित्त आयोग द्वारा राज्यों को संसाधन के बंटवारे का दायरा और भी सीमित हो जायेगा।

सरल रूप में, वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच संसाधन संतुलन स्थापित करने का मंच है। ऐसा माना जाता है कि उसकी संस्तुतियां सरकारों द्वारा संसाधन जुटाने की उनकी खुद की क्षमता के बाद उनकी शेष बची राजकोषीय जरूरतों पर आधारित होती हैं। यदि गरीब राज्यों को अधिक संसाधनों का आवंटन होता है, तो इसका कारण यह है कि वहां निधि की ज्यादा बड़ी कमी है।

15वें वित्त आयोग के सामने अभी ही कई कठिनाइयां खड़ी हो चुकी हैं, क्योंकि दक्षिणी राज्यों ने इसके विचारणीय बिंदुओं में इस आधार पर परिवर्तन की मांग की है कि उसमें आबादी के आकलन के लिए 2011 की जनगणना के आंकड़ों के इस्तेमाल की बात कही गयी है। हालांकि, यह केंद्र और राज्यों के बीच का मुद्दा न होकर राज्यों के बीच का ही मुद्दा है। पर, इसके अलावा भी, वित्त आयोग द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच सही संतुलन कायम करने की जिम्मेदारी सीमित कर दी गयी है। इतना तो जरूर है कि केंद्र और राज्य संबंधों के प्रवाह में ये ज्वार-भाटे स्वस्थ संघीय गणतंत्र का ही संकेत करते हैं।

संभावित प्रश्न

प्रश्न. भारत राज्यों का संघ है, मगर इसके राज्य केंद्र के द्वारा ही सृजित हैं। हाल के वर्षों में राज्य सूची के विषयों में भी केंद्र की बढ़ती दखलंदाजी को साफ तौर पर देखा जा सकता हैं। इस कथन के सन्दर्भ में केंद्र की बढ़ती दखलंदाजी के दुष्परिणामों की चर्चा करे। (250 शब्द)

73वाँ संशोधन अधिनियम

- भारतीय संविधान में 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम (73 वाँ Amendment Act) ने एक नया भाग IX सम्मिलित किया है। इसे The Panchayats नाम से उल्लेखित किया गया और अनुच्छेद 243 से 243(O) के प्रावधान सम्मिलित किये गए। इस कानून ने संविधान में एक नयी 11वीं अनुसूची भी जोड़ी। इसमें पंचायतों की 29 कार्यकारी विषय वस्तु हैं। इस कानून ने संविधान के 40वें अनुच्छेद को एक प्रयोगात्मक आकार दिया जिसमें कहा गया है कि- "ग्राम पंचायतों को व्यवस्थित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा और उन्हें उन आवश्यक शक्तियों और अधिकारों से विभूषित करेगा जिससे कि वे स्वयं-प्रबंधक की ईकाई की तरह कार्य करने में सक्षम हो।" यह अनुच्छेद राज्य के नीति निदेशक तत्वों का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है।
- इस अधिनियम ने पंचायती राजसंस्थाओं को एक संवैधानिक दर्जा दिया अर्थात् इस अधिनियम के प्रावधान के अनुसार नई पंचायती पद्धति को अपनाने के लिए राज्य सरकार संविधान की बाध्यता के अधीन है। अत: राज्य सरकार की इच्छा पर न तो पंचायत का गठन और न ही नियमित अंतराल पर चुनाव होना निर्भर करेगा।

प्रकार

- 73वाँ संशोधन अधिनियम के प्रावधानों को दो भागों में बाँटा जा सकता है– अनिवार्य, स्वैच्छिक

73वाँ संशोधन अधिनियम की विशेषताएँ

- इस 73वाँ संशोधन अधिनियम (73वाँ Amendment Act), 1993 द्वारा संविधान में एक नया भाग, भाग IX और नई अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है और पंचायत राजव्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। इस अधिनियम की निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएँ हैं– ग्राम सभा, पंचायतों का गठन, चुनाव, आरक्षण, सदस्यों की योग्यताएँ, विषयों का हस्तांतरण।

ग्राम सभा

- ग्राम सभा गाँव के स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसे कार्यों को करेगी जो राज्य विधानमंडल विधि बनाकर उपलब्ध करें।

पंचायतों का गठन

- अनुच्छेद 243- त्रिस्तरीय पंचायती राज का प्रावधान करता है। प्रत्येक राज्य ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया जायेगा, किन्तु उस राज्य में जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन करना आवश्यक नहीं होगा।

चुनाव

- पंचायत स्तर पर सभी ग्राम पंचायतों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होगा और जिला परिषद् के स्तर पर अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। मध्यवर्ती स्तर की संख्या के अध्यक्ष का चुनाव प्रयत्क्ष हो या अप्रत्यक्ष यह बात सम्बंधित राज्य सरकार द्वारा निश्चित की जाएगी। हर पंचायती निकाय की अवधि पाँच साल की होगी। यदि प्रदेश की सरकार 5 साल पूरे होने से पहले पंचायत को भंग करती है तो इसके 6 महीने के भीतर नए चुनाव हो जाने चाहिए। निर्वाचित स्थानीय निकायों के अस्तित्व को सुनिश्चित रखने वाला यह महत्त्वपूर्ण प्रावधान है। 73 वें संशोधन से पहले कई प्रदेशों से पहले कई प्रदेशों में जिला पंचायती निकायों के चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से होते थे और पंचायती संस्थाओं को भंग करने के बाद तत्काल चुनाव कराने के सम्बन्ध में कोई प्रावधान नहीं था।

आरक्षण

- पंचायती राज संस्थाओं के कुल स्थानों में 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित हैं और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर स्थान आरक्षित होंगे। यदि प्रदेश सरकार जरुरी समझे, तो वह अन्य पिछड़ा वर्ग को भी सीट में आरक्षण दे सकती हैं। तीनों ही स्तर पर अध्यक्ष (Chairperson) पद तक आरक्षण दिया गया है।

सदस्यों की योग्यताएँ

- पंचायत का सदस्य निर्वाचित होने के लिए निम्न योग्यताएँ आवश्यक होंगी–
- नागरिक ने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो।
- वह व्यक्ति प्रवृत्त विधि के अधीन राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचित होने की योग्यता (आयु के अतिरिक्त अन्य योग्यताएँ) रखता हो।
- वह सम्बंधित राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि के अधीन पंचायत का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो।

संविधान का 74वाँ संशोधन

- 1992 ई. में संविधान का 74वाँ संशोधन हुआ और संविधान में एक नया भाग IX A जुट गया। इसके अंतर्गत नगरपालिकाओं के संगठन एवं कार्य के सम्बन्ध में एक निश्चित दिशा-निर्देश दिया गया है। इसके अनुसार नगरपालिकाओं की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया जा सकता है–

i) प्रत्येक राज्य में तीन प्रकार की शहरी संस्थाएँ होंगी- क) जो क्षेत्र देहाती से शहरी में परिवर्तित हो रहे हैं, वहाँ नगर पंचायत, ख) छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए नगरपालिका परिषद् और ग) बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए नगर निगम।

ii) सदस्यों के निर्वाचन के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। शहर की जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए स्थान सुरक्षित रहेंगे। इनमें 1/3 स्थान अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिलाओं के लिए सुरक्षित रहेंगे। सम्पूर्ण सदस्यों का 1/3 स्थान ही महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे।

iii) नगरपालिकाओं का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित रहेगा। कार्यकाल समाप्त होने के छह महीने पूर्व ही नई नगरपालिका का चुनाव सम्पन्न हो जाना चाहिए।

iv) नगरपालिकाओं में चुनाव सम्पन्न करने का उत्तरदायित्व राज्य निर्वाचन आयोग पर होगा।

v) नगरपालिका के अध्यक्ष-पद पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं का स्थान किस प्रकार आरक्षित रहेगा, इसका निश्चय राज्य सरकार कानून बनाकर करेगी।

vi) संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ दी गई है और उसमें विभिन्न प्रकार की नगरपालिकाओं द्वारा सम्पन्न किये जानेवाले कार्यों की सूची निश्चित कर दी गई है, जैसे- नगर योजना सहित शहरी योजना, आर्थिक एवं सामाजिक विकास के कार्यक्रम, सड़क एवं पुल, जल आपूर्ति, जनस्वास्थ्य इत्यादि।

हमें कैसी हवा चाहिए?

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3 (पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी) से संबंधित है।

हाल ही में WHO ने दुनिया भर के शहरों में वायु प्रदूषण की स्थिति पर नए आकड़े प्रकाशित किये हैं। इस रिपोर्ट में विश्व के सबसे ज्यादा प्रदूषित 15 महानगरों में 14 भारतीय शहर है, जो एक बड़ी चिंता की बात है। इस संदर्भ में हिन्दी समाचार पत्र 'अमर उजाला' में प्रकाशित लेख का सार दिया जा रहा है, जिसे GS World टीम द्वारा इस मुद्दे से जुड़ी अन्य सहायक जानकारियों को उपलब्ध कराकर एक समग्रता प्रदान की जा रही है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने दुनिया भर के शहरों में वायु प्रदूषण की स्थिति पर नए आंकड़े जारी किए हैं। इनसे घरों और आसपास के परिवेश में वायु प्रदूषण की स्थिति का पता चलता है, जोकि अनेक बीमारियों की जड़ भी हैं। हां, ये आंकड़े डरावनी तस्वीर पेश करते हैं, जब पता चलता है कि खासतौर से विकासशील देशों में हर दस में से नौ व्यक्ति प्रदूषित हवा में श्वांस लेने को मजबूर हैं। इसमें बताया गया है कि हर साल 70 लाख लोगों की मौत वायु प्रदूषण के कारण होती हैं।

इन आंकड़ों के आधार पर अनेक लोगों का कहना है कि विभिन्न शहरों का प्रदर्शन भिन्न तरह का है। हालांकि विमर्श का मुद्दा यह है कि घरों में और आसपास के परिवेश में वायु प्रदूषण जिस स्तर पर पहुंच चुका है, उससे स्वास्थ्य के लिए गंभीर संकट पैदा हो गया है और यही सही समय है जब सारी सरकारी एजेंसियों, एनजीओ, नागरिक समाज और सामान्य तौर पर सारे नागरिकों को इस मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए और इस चुनौती से निपटने के लिए अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए।

डब्ल्यूएचओ ने खास तौर से जिक्र किया है कि पार्टिकुलेट मैटर से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने के लिए विभिन्न देशों ने कदम उठाए हैं। उदाहरण के लिए, भारत की प्रधानमंत्री उज्जवला योजना ने देशभर में गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाली 3.7 करोड़ महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराए हैं, ताकि उन्हें घर की जरूरत के लिए साफ ईंधन मिल सके। इस तरह के कदमों और योजनाओं से निर्विवाद रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब लोगों को साफ ईंधन मिल सकेगा, क्योंकि इन्हीं लोगों के वायु प्रदूषण से प्रभावित होने का खतरा सर्वाधिक होता है।

अब यह महत्वपूर्ण हो गया है कि व्यापक लक्ष्य के लिए बहुविषयक तरीके पर विचार किया जाए, ताकि पर्यावरण तथा मनुष्यों की सेहत बेहतर हो सके। अब भारत को इसे चुनौती के बजाय एक अवसर की तरह लेना चाहिए और सभी केंद्रीय तथा राज्य एजेंसियों को एकजुट होकर एकीकृत दृष्टिकोण अपनाते हुए स्वच्छ हवा के व्यापक लक्ष्य के लिए काम करना चाहिए। हाल ही में पर्यावरण, वन और मौसम परिवर्तन मंत्रालय ने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का मसौदा वितरित किया है, जिसमें पूरे देश में वायु प्रदूषण से निपटने का लक्ष्य रखा गया है।

भारत सरकार की ओर से यह महत्वपूर्ण कदम है, जिसके जरिये हम दिखा सकते हैं कि हम वायु प्रदूषण की मौजूदा स्थिति और उसके प्रभावों को लेकर कितने गंभीर हैं। एनसीएपी के मसौदे में शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में नए निगरानी केंद्रों की स्थापना, क्षमता निर्माण और ढांचा, उत्सर्जन सूची और जागरूकता तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि पर जोर दिया गया है। हालांकि इसके लिए कोई स्पष्ट रोड मैप नहीं है, कि किस प्रदूषक का प्रदूषण स्तर कितना है और यह वायु प्रदूषण को कब और कैसे नियंत्रित कर सकता है। एनसीएपी को परिवेश और घरों दोनों जगहों पर लक्षित क्षेत्रों और एकीकृत दृष्टिकोण के साथ वायु प्रदूषण का स्तर कम करने के लिए निष्पक्ष तथा हासिल की जा सकने वाली समय सीमा पर विचार करना चाहिए।

सरकार को इस मुहिम में शहरी स्थानीय निकायों, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, परिवहन विभाग, पर्यावरण एजेंसियां, एनजीओ और नागरिक समाज आदि को शामिल करना चाहिए। एनसीएपी के उद्देश्यों पर अमल करने के लिए और इसके लक्ष्यों को हासिल करने के लिए राज्य स्तर पर पर्याप्त ढांचे, मानव संसाधन और वित्तीय मदद की जरूरत होगी। राज्य स्तर पर क्षमता के विकास के लिए उद्योगों और शैक्षणिक समुदाय की मदद ली जा सकती है। सरकार को स्वच्छ हवा के उद्देश्य को हासिल करने के लिए सकारात्मक रुख दिखाते हुए हर स्तर पर हर तरह के उदार और कठोर कदम उठाने चाहिए।

वास्तव में अब वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने की अत्यंत आवश्यकता है, ताकि देश को हो रहे नुकसान को कम किया जा सके। इसके साथ ही, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जैसी एजेंसियों का अनुभव है कि वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने में विभिन्न हितग्राहियों और सरकारी एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी बड़ा मुद्दा है, जिसे शीर्ष से नीचे की ओर बढ़ते हुए सुलझाया जा सकता है। पर्यावरण और वन मंत्रालय को विभिन्न राज्यों में समयबद्ध तरीके से विभिन्न तरह के उपायों पर अमल सुनिश्चित करके व्यवस्था को और जवाबदेह बनाना चाहिए।

वायु प्रदूषण का प्रभाव एक राज्य तक सीमित नहीं होता, बल्कि पड़ोसी राज्य भी इससे प्रभावित होते हैं, इसलिए इसका मुकाबला स्थानीय और क्षेत्रीय दोनों स्तर पर करने की जरूरत है। कॉरपोरेट सामाजिक और पर्यावरणीय दायित्व के तहत उद्योगों को जोड़कर भी संबंधित परिवेश में स्वच्छ हवा के लक्ष्यों को हासिल किया जा सकता है। सरकार को चाहिए कि वह 'स्वच्छ हवा' के पहलू को भी स्वच्छ भारत अभियान से जोड़े।

2022 तक नवीकरण ऊर्जा के जरिये 175 गीगावॉट उत्पादन, ऑटो ईंधन विजन और नीति-2025 तथा प्रधानमंत्री उज्जवला योजना जैसे उपायों और योजनाओं से आने वाले वर्षों में वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में मदद मिलेगी। वायु प्रदूषण के संपूर्ण प्रभाव को कम करने के लिए शहरी आधारभूत संरचना में टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली, हरित भवन, आधुनिक प्रौद्योगिकी से तैयार किए गए कूड़ा भंडार क्षेत्र (जोकि मीथेन और गंदे पानी को एकत्र कर सकें) आदि की उच्च प्राथमिकता के साथ जरूरत है।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को तापीय बिजली संयंत्र, ईट भट्टों, ढलाई घर, भवन निर्माण और खुले में बॉयोमास जलाने वालों को नियंत्रित करने के लिए कड़े उपाय करने चाहिए। समय आ गया है, जब देश का हर नागरिक पर्यावरण के प्रति अधिक जागरूक हो और उसे यह जानना चाहिए कि उसका छोटा योगदान भी एक बड़ा बदलाव ला सकता है, ताकि हर कोई साफ हवा में श्वांस ले सके।

GS World Committed To Excellence

GS World टीम...

चर्चा में क्यों?

- वर्ल्ड हेल्थ आर्गेनाईजेशन ने जागतिक वायु प्रदूषण पर अपनी सालाना रिपोर्ट जिनेवा में प्रकशित की। इस रिपोर्ट में विश्व के सबसे ज्यादा प्रदूषित 15 महानगरों में 14 भारतीय शहर हैं। कानपुर में वायु प्रदूषण का स्तर सबसे खराब हैं। कानपुर में प्रति घन मीटर(क्यूबिक मीटर) हवा में 173 माइक्रोग्राम पीएम 2.5 स्तर के प्रदूषक घटक पाए गए हैं।
- रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया में कुल 108 देशों के 4300 शहरों की वायु गुणवत्ता का अध्ययन किया गया। कई अफ्रीकी देशों ने वायु गुणवत्ता की जांच करने की अनुमति देने से इन्कार किया था। इस रिपोर्ट में कुल 181 भारतीय महानगरों की वायु गुणवत्ता जाँची गयी।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लू.एच.ओ.) ने हवा में प्रदूषक घटकों को दो वर्गों में विभाजित किया हैं। पीएम 10 और पीएम 2.5, मुख्य प्रदूषकों में सल्फेट, नाइट्रेट, ब्लैक कार्बन जैसे आरोग्य को हानि पहुँचाने वाले पदार्थ हैं।
- फरीदाबाद, वाराणसी और गया इन शहरों को कानपुर के बाद क्रमशः दूसरा, तीसरा और चौथा स्थान दिया गया है। शीर्ष 20 प्रदूषित शहरों में भारतीय महानगरों के अलावा कुवैती शहर अली सुबह-अल सालेम और चीन, मंगोलिया के भी कुछ शहर शामिल हैं।

प्रदूषण और आरोग्य समस्याएं

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लू.एच.ओ.) की रिपोर्ट के अनुसार, विश्व के हर दस लोगों में से नौ लोगों को प्रदूषित हवा में सास लेनी पड़ती हैं। इसके कारण हर साल 70 लाख लोग अपनी जान गवाते हैं।
- एशिया और अफ्रीकी देशों में प्रदूषण के कारण होने वाली मौतों में से 90 प्रतिशत मौतें वायु प्रदूषण से होती हैं। वायु प्रदूषण से होने वाली गंभीर समस्याओं में हृदय विकार, फेफड़ों का कैंसर (लंग कैंसर) भी शामिल हैं।

प्रदूषण और भारतीय शहर

- देश की राजधानी दिल्ली विश्व का छठां सबसे प्रदूषित शहर हैं। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता दिन प्रति दिन खराब होती जा रही हैं। रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति में 2010 से 2014 के दौरान सुधार देखा गया था लेकिन 2015 में हालात बिगड़ने लगे।
- देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में प्रदूषण का स्तर बीजिंग के सामान हैं। लेकिन चीनी सरकार जिस तरह से प्रदूषणकम करने के प्रयासों में लगी हैं, उस तरह की गंभीरता भारतीयों में नहीं हैं। यह बात खेद जनक हैं।
- जयपुर राजस्थान में सबसे अधिक प्रदूषित शहर हैं। इसके अलावा जोधपुर, अलवर, कोटा, उदयपुर भी प्रदूषण नियंत्रण में पीछे हैं।
- सरकार के आखिरकार प्रदूषण नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम(नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम) की घोषणा की। पर्यावरण और वन संवर्धन राज्यमंत्री महेश शर्मा ने इस प्रदूषण के बढ़ते खतरे को मानते हुए इस कार्यक्रम की लोकसभा में घोषणा की।

प्रदूषण नियंत्रण

- देश में प्रदूषण को कम करने हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण परिषद् (सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड) की स्थापना की गयी हैं, और इस बोर्ड के हर राज्यों में क्षेत्रीय मुख्यालय हैं
- दिल्ली में वायु प्रदूषण की तुलना सामान्य तौर पर बीजिंग से की जाती हैं, लेकिन बीजिंग की वायु गुणवत्ता में चीनी सरकार के प्रयासों के चलते कमी आ रही हैं।
- 2013 में शीर्ष 20 प्रदूषित शहरों में 14 चीनी महानगर थें और 2016 के रिपोर्ट में सिर्फ चार चीनी शहर थे। इससे चीन में प्रदूषण के प्रति लोगों में गंभीरता और चीनी सरकार की कटिबद्धता का पता चलता है।
- 2013 में चीनी सरकार ने नेशनल एक्शन प्लान फॉर एयर पोल्यूशन कंट्रोल के अंतर्गत कई कदम उठाये है। डब्ल्यू.एच.ओ. के अनुसार बीजिंग की वायु गुणवत्ता में 2013 से सुधार हो रहा है।

प्रदूषण में वृद्धि के कारण

- वैज्ञानिकों के अनुसार, पिछले लगभग एक दशक से गंगा के मैदानी क्षेत्रों में पर्टिकुलेट मैटर में लगातार वृद्धि हो रही है और इसके बारे में समय-समय पर जानकारी भी दी गई है। अतः इस रिपोर्ट में कुछ भी नया या आश्चर्यजनक नहीं है।
- यहाँ तक कि सैटेलाइटों से लिये गए चित्र भी यह दर्शाते हैं कि गंगा का मैदानी क्षेत्र वायु प्रदूषण के बड़े हॉटस्पॉट के रूप में उभर रहा है।
- वैज्ञानिकों के अनुसार गंगा का मैदान भी एक विशाल घाटी की तरह ही है, जो उत्तर में हिमालय और दक्षिण में विंध्य श्रेणी के बीच में स्थित है। अतः यहाँ से प्रदूषक बहुत दूर तक नहीं जा पाते, जिससे यहाँ इनकी सांद्रता बढ़ रही है।
- यह क्षेत्र दुनिया में सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। इस क्षेत्र की आबादी 600 मिलियन से भी अधिक है। अतः इतनी बड़ी जनसंख्या की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बड़े स्तर पर ईंधन का दहन होता है, जिससे हवा में बड़ी मात्रा में प्रदूषक और पर्टिकुलेट मैटर मुक्त होते हैं।
- यह भूमि आबद्ध क्षेत्र है एवं इसे मुंबई और चेन्नई जैसे तट का लाभ प्राप्त नहीं है। अतः यहाँ से प्रदूषण का शीघ्रता से समाप्त होना संभव नहीं है।
- इसके अलावा यहाँ के बहुत से छोटे शहरों में अपशिष्ट प्रबंधन की स्थिति खराब है, बड़ी मात्रा में ठोस ईंधन जलाया जाता है, लोग गैर-मोटर चालित वाहनों के बजाय मोटर चालित वाहनों का अधिक उपयोग करने लगे हैं।
- लेकिन लिस्ट में शामिल गया और मुजफ्फरपुर जैसे शहरों में पीएम 2.5 का स्तर बढ़ने के अलग कारण हो सकते हैं। मसलन, यहाँ पर वर्ष के अधिकांश समय मुख्यतः हवा की दिशा उत्तर-पश्चिम से पूर्व की ओर होती है और यह सर्दियों के दौरान और अधिक तेजी से बहती है। परिणामस्वरूप यह अन्यत्र उत्पन्न प्रदूषण को भी अपने साथ इन क्षेत्रों में ले आती है। यहाँ तक कि दिल्ली में पाए जाने वाले सभी प्रदूषक भी वहाँ पैदा नहीं होते, बल्कि अन्य स्थानों से यहाँ पहुँचते हैं।

संभावित प्रश्न

प्रश्न. हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) द्वारा जारी वायु प्रदूषण पर एक नई वैश्विक रिपोर्ट न केवल शहरी भारत में व्यापक वायु प्रदूषण की गंभीरता को दर्शाती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि हवा की गुणवत्ता की निगरानी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस कथन के संदर्भ में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने हेतु उपाय सुझाये। (250 शब्द)

ये तस्वीरें महज छात्रों की संख्या को नहीं, बल्कि हमारे संस्थान पर उनके विश्वास को दर्शाती हैं...

Batch : 8:30 AM

Batch : 11:45 AM

Batch : 12:05 PM

Batch : 6:30 PM

एक विद्यार्थी के लिए सिविल सेवा में अंतिम सफलता पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीन चीजें होती हैं – बेहतर अध्ययन सामग्री, अनुभवी शिक्षक एवं प्रबंधन का नजरिया विद्यार्थियों के हितोनुरूप हो। जब मैं GS World संस्थान को देखता हूँ तो इस बात से आश्वस्त हो जाता हूँ कि यहाँ पर एक अभ्यर्थी सिविल सेवा की संपूर्ण तैयारी कर सकता है। निजी तौर पर संस्थान के निदेशक नीरज सिंह के प्रशासनिक अनुभव से मैं भलीभांति परिचित हूँ। मेरे अनुसार GS World संस्थान एक अभ्यर्थी के लिए बेहतर विकल्प हो सकता है।

अजय साहनी
(IPS-UP Cader)

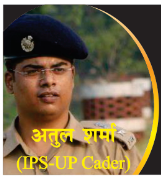
अतुल शर्मा
(IPS-UP Cader)

GS World संस्थान के पास अनुभवी शिक्षक मंडल जिसमें प्रो. पुष्पेश पंत, मणिकांत सिंह, आलोक रंजन, दीपक सर जैसे भारत के सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शक मौजूद हैं। अनुभवी शिक्षकों के साथ-साथ बेहतर कक्षा कार्यक्रम, लेखन शैली पर विशेष ध्यान, उत्तर-पुस्तिका का अच्छी तरह से मूल्यांकन, विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास के लिए समय-समय पर आयोजित परिचर्चाएं GS World संस्थान को सिविल सेवा अभ्यर्थियों के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प बनाता है।

सफलता के लिए पढ़ने की सही रणनीति उतनी ही जरूरी है जितनी अध्ययन सामग्री और **GS World** एक ऐसा संस्थान है जहां पर अभ्यर्थी अध्ययन सामग्री के साथ-साथ उसे किस प्रकार जल्दी और अच्छे ढंग से पढ़े इसकी रणनीति भी सीखता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, संस्थान द्वारा तैयार की गई **NCERT** पुस्तकों की अध्यायवार रणनीति। इसके अलावा **GS World** संस्थान को जो बात सबसे अलग बनाती है वह है विद्यार्थियों को मिलने वाला व्यक्तिगत मार्गदर्शन। इस प्रकार मेरा व्यक्तिगत अनुभव यही कहता है कि **GS World** सिविल सेवा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए पूर्णतः समर्पित एक संस्थान है।

धवल जायसवाल
(IPS-UP Cader)

हमारे संस्थान के सफल अभ्यर्थी...

IAS-2017 Batch

हिंदी माध्यम में चयनित **GS World** के सफल अभ्यर्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं

DEVENDRA DUTT YADAV

22 वर्षीय युवा

SAKSHI GARG

AKSHAT KAUSHAL

ANIRUDDH KUMAR

CHETAN KUMAR MEENA

PANKAJ YADAV

RATAN DEEP GUPTA

LAKHAN SINGH YADAV

SHAKTI MOHAN AVASTHY

GAURAV

BIKRAM GANGWAR

ADITYA KUMAR JHA

And Many More

: 011-27658013, 7042772062/63

H.O. : 629, Ground Floor, Main Road, Mukherjee Nagar, Delhi-09!! Class Venue : Vardhman Plaza, Nehru Vihar

http://www.gsworldias.com http://www.facebook.com/gsworld1 : gsworldias@gmail.com

DELHI CENTRE	ALLAHABAD CENTRE	LUCKNOW CENTRE
629, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-09 Ph.: 7042772062/63, 9868365322	GS World House, Stainly Road, Near Traffic Choraha, Allahabad Ph.: 0532-2266079, 8726027579	A-7, Sector-J, Puraniya Chauraha Aliganj, Lucknow Ph.: 0522-4003197, 8756450894

9654349902